हीट-वेव (लू) कार्य योजना

हीट वेव (लू) से सुरक्षा, बचाव एवं प्रबन्धन

जनपद- लखनऊ (2025)

भानु चन्द्र गोस्वामी IAS

राहत आयुक्त; उ0प्र0 शासन/
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राकेश कुमार सिंह PCS

अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

विशाख जी0 IAS

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अनुक्रमणिका

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश – जिलाधिकारी, लखनऊ	1 – 1
2	संदेश – अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व), लखनऊ	2 – 2
3	आभार – जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ	3 – 3
4	उत्तर प्रदेश का मानचित्र	4 – 4
5	जनपद लखनऊ का मानचित्र	5 – 5
6	जनपद लखनऊ के बारे में	6 – 8
	CHAPTER - 1	
7	हीटवेव का परिचय	9 – 9
8	हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित सम्बन्धित मानदण्ड	9 – 10
9	तापमान/आर्द्रता सूचकांक	10 – 12
10	भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभाव	12 – 13
11	विगत 05 वर्षों का जनपद लखनऊ का उच्चतम तापमान	13 – 13
	CHAPTER - 2	
12	हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना की आवश्यकता	14 – 14
13	उत्तर प्रदेश में हीटवेव (लू) की स्थिति	14 – 15
14	जनपद लखनऊ में हीटवेव (लू) की स्थिति	15 – 15
15	हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्य	15 – 16
16	जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन	16 – 16
17	हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियां	16 – 17
18	हीटवेव (लू) पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र	17 – 17
19	सामान्य : तापमान/आर्द्रता सूचकांक ग्राफ	18 – 18
20	हीटवेव चेतावनी कलर कोड	19 – 19
	CHAPTER – 3	
21	विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व	20 – 28
22	हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों से किये गये पत्राचार	29 – 36

CHAPTER - 4		
22	हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों का प्रबन्धन	37 – 38
23	हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों की रोकथाम	38 – 38
24	हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचार	38 – 41
25	हीटवेव (लू) से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहण	42 – 43
26	आंकड़ों का संग्रह – प्रारूप	44 – 44
27	हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों के प्रबन्धन के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी	45 – 46
28	क्या करें / क्या न करें	47 – 47
29	लू/ऊष्माघात से बचाव सम्बन्धी उपाय (पोस्टर)	48 – 50
30	सीखें /जनपद स्तर पर लू प्रतिक्रिया के दौरान आई चुनौतियों की समीक्षा करना	51 – 51
CHAPTER - 5		
31	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वर्ष 2023 में की गयी गतिविधियां	52 – 53
32	IMPACT OF HEAT WAVE ON LIFE AND LIVELIHOOD	54 – 54
33	IMPACT OF HEAT WAVE ON AGRICULTURE	54 – 54
34	RATIONALE FOR HEAT WAVE ACTION PLAN & KEY STRATEGIES	55 – 55
35	FINANCIAL PROVISION FOR HEAT WAVE	56 – 57
36	ROLE & RESPONSIBILITES FOR MEN AGING HEAT WAVE	57 – 57
37	जनपद लखनऊ में लू (हीटवेव) से बचाव/राहत के दृष्टिगत विभाग स्तर पर पूर्व तैयारियां	58 – 61
38	INTER-AGENCY CO-ORDINATION	62 – 62
39	HEAT EXHAUSTION OR HEAT STROKE RELATED POSTER	63 – 63
40	जनपद में लू/हीटवेव के सम्भावित प्रभाव के नियन्त्रण हेतु जनपद स्तर पर की गयी तैयारियां	64 – 67
41	लू से बचाव एवं क्या करें व क्या न करें सम्बन्धी पोस्टर	68 – 69
42	Clinical Presentation and Treatment Protocol Heat Related Illness (Poster)	70 – 70
43	Management workflow of suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre (Poster)	71 – 71
44	स्थानीय समाचार पत्रों में लू प्रकोप से बचाव एवं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारियों के सम्बन्ध में खबरों का प्रकाशन	72 – 75
45	हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु जनपद लखनऊ के सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना	76 – 77

46	हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु कूलिंग प्वाइंट की स्थापना	**78 — 78**
47	हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु आहूत बैठक	**79 — 79**
48	हीटवेव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	**80 — 81**
49	हीटवेव जागरूकता के सम्बन्ध में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन	**82 — 82**
50	हीटवेव से बचाव सम्बन्धी रेडियो जिंगल का प्रसारण	**83 — 83**
51	हीटवेव से बचाव सम्बन्धी आई0ई0सी0 मटेरियल	**84 — 88**
52	Contact Number of EOC and Control Room, Lucknow	**89 — 89**
53	District Level Incident Response Team	**90 — 90**
54	जिला प्रशासन (कलेक्ट्रेट, लखनऊ) के मुख्य अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र	**91 — 91**
55	जनपद लखनऊ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र	**92 — 92**

-- :---------------------------------: --

विशाख जी०
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट

जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय,
1–महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज,
लखनऊ–226001
(का0) 0522–2623024, 2625653
(आ0) 0522–2614700, 2623912
फैक्स–0522–2230099

सं0 148/ACRA/AAPDA/2025

दिनांक 06/06/2025

संदेश

"डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005" के अर्न्तगत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ का गठन किया गया, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियों के साथ जनपद लखनऊ की हीट–वेव(लू) कार्ययोजना–2025 का प्रकाशन किया जा रहा है। हमने मौसम आधारित सभी प्रकार की संभावित प्रभावों के विरूद्ध एक Situation Appropriate Behaviour adopt करना सीखना होगा और घर–परिवार में Vulnerable Sections जैसे बच्चे, बुजुर्गों आदि को मौसम जनित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए Individual Level पर तथा सामाजिक लेवल पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस प्रकाशन में हीट–वेव प्रबन्धन को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है कि हीट–वेव (लू) की सावधानियों को प्रचार के माध्यम से जन–मानस को जागरूक करना, हीट–वेव (लू) से जन सामान्य पर प्रभाव को कम करने हेतु समग्र प्रयास करना एवं आपात स्थिति में समस्त सम्बन्धित विभागों, संस्थानों एवं संस्थाओं द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही के बारे में अवगत कराना है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हीट–वेव विषय भी सम्मिलित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद लखनऊ के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ द्वारा हीट–वेव पर प्रकाश डालते हुए उसकी गम्भीरता से अवगत कराया गया तथा हीट–वेव के दौरान क्या करें अथवा क्या न करें के सम्बन्ध में भी अपने–अपने विचार प्रकट किये गये।

विगत वर्ष 2024 के जुलाई माह में जनपद लखनऊ का अधिकतम तापमान 46.0 डिग्री सेल्सियम दर्ज किया गया था, जिसके दृष्टिगत हीटवेव कार्ययोजना–2024 का प्रकाशन कराते हुए सम्बन्धित विभागों से हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाहियां सम्पन्न करायी गयी थी। इससे लखनऊ में हीटवेव (लू) से होने वाली संभावित क्षति को न्यूनतम किया जा सका। वर्तमान वर्ष 2025 में भी सम्भावित हीटवेव (लू) को दृष्टिगत रखते हुए यह हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार की गयी है, जिससे निश्चित रूप से हीटवेव (लू) जैसी समस्या से निपटने में जनमानस को सहायता मिलेगी। साथ ही नगर निगम, लखनऊ द्वारा भी अपने विभाग की हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार की गयी है, जिसमें नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख चौराहों पर कूलिंग स्टेशन स्थापित कराये जाने, प्याऊ लगवाये जाने एवं छायादार स्थानों की व्यवस्था कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

जिला प्रशासन, लखनऊ एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा नगर निगम, लखनऊ के माध्यम से हीट–वेव योजना के प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां सुनिश्चित की जाती हैं, जिनमें होर्डिंग के माध्यम से हीटवेव सम्बन्धी जागरूकता एवं रेडियो चैनल पर जिंगल का प्रसारण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त समय–समय पर क्या करें एवं क्या न करें के सम्बन्ध में भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जाता है। मौसम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी चेतावनियों को प्रशासन एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जनता को जोड़कर सेवा करने हेतु तैयारी की गई है। यह हीट–वेव कार्ययोजना–2025 नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करने में बहुत उपयोगी साबित होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि योजना के प्रकाशन से हीट–वेव के बचाव के सम्बन्ध में दी गयी जानकारियों, सुझावों एवं क्या करें, क्या न करें आदि बिन्दुओं पर अमल किया जायेगा, जिससे सभी विभागों/संस्थाओं, समुदाय एवं जन मानस को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। उक्त कार्ययोजना को जनपद की वेबसाईट–**www.lucknow.nic.in** पर भी अपलोड किया गया है।

(विशाख जी0)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राकेश कुमार सिंह

पी0सी0एस0
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

संदेश

आपदा का तात्पर्य प्राकृतिक अथवा मानवजनित ऐसी वास्तविक घटना या विनाश से है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की भारी क्षति, सम्पत्ति की क्षति, पर्यावरण की क्षति हो। प्राकृतिक आपदा अचानक ही आती हैं, जो अपनी क्षमता, जटिलता एवं बारम्बारता के कारण अत्यधिक जन–धन की क्षति का कारण बनती है।

विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पारित ''डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट–2005'' के अर्न्तगत राष्ट्रीय स्तर पर ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' एवं प्रदेशों में ''राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005'' का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। तत्क्रम में जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।

यह सर्व विदित है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका तो नही जा सकता है, परन्तु बेहतर प्रबंधन से आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम अवश्य किया जा सकता है, जिसके क्रम में जनपद लखनऊ की हीट–वेव (लू) योजना–2025 के अन्तर्गत विभिन्न कदम उठाये जा रहे है, जिसमें सरकारी विभागों, गैर सरकारी विभागों, संस्थाओं आदि का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग, समन्वय और बेहतर प्रबंधन से हीट–वेव के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने की दिशा में हम सभी बेहतर प्रयास करेगें।

ग्रीष्मकालीन ऋतु के साथ ही हीट–वेव की दस्तक आरम्भ हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है और तापमान में प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है, जो चिन्ता का विषय है। जिससे हीट स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो जाती है। वृद्धजन और पुरानी बीमारी जैसे हृदय रोग, श्वास रोग एवं मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हीट–वेव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। भीषण गर्मी श्रमिक उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। वर्तमान में जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, उसके दृष्टिगत जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद लखनऊ के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ द्वारा हीट–वेव पर प्रकाश डालते हुए उसकी गम्भीरता से अवगत कराया जाता है तथा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा हेतु सम्बन्धित विभागों के सहयोग से आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं।

मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि हीट–वेव (लू) कार्ययोजना–2025 के प्रकाशन से सभी सम्बन्धितों को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरा इस क्षेत्र में हर सम्भव प्रयास होगा कि यह योजना निरन्तर प्रगतिशील रहेगी।

मै आशा करता हूॅ कि आपदा प्रबंधन योजना प्रभावी तरीके से आपदाओं के प्रबन्धन में सार्थक भूमिका एवं सहयोग का समावेश करेगी।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

अमर सिंह

जिला आपदा विशेषज्ञ
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

आभार

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हीट–वेव विषय भी सम्मिलित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद लखनऊ के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ द्वारा हीट–वेव पर प्रकाश डालते हुए उसकी गम्भीरता से अवगत कराया गया तथा हीट–वेव के दौरान क्या करें अथवा क्या न करें के सम्बन्ध में भी अपने–अपने विचार प्रकट किये गये।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राप्त अनुभवों को मेरे द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय के साथ साझा किया गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों को हीटवेव कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये, इस कार्ययोजना को तैयार करने में जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा बहुमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान किया गया, जिसमें मुख्यतः नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, निदेशक भारतीय मौसम विभाग अमौसी शाखा, मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, महाप्रबन्धक जल निगम, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना, उप श्रमायुक्त, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रभारी अधिकारी इमामबाड़ा, स्वयंसेवी संस्थायें, एवं जनपद के समस्त आपदा मित्र/आपदा सखियां सम्मिलित हैं।

इस प्रकार उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जनपद लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारीगणों के दिशा–निर्देशन एवं समस्त विभागों द्वारा प्रदान किये गये सहयोग से यह हीट–वेव कार्ययोजना–2025 तैयार की गयी है, जिसके लिए मैं समस्त वरिष्ठ अधिकारीगणों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इन सभी वरिष्ठ अधिकारीगणों का दिशा–निर्देशन एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

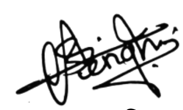

(अमर सिंह)
जिला आपदा विशेषज्ञ,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

MAP OF UTTAR PRADESH

DISTRICT LUCKNOW MAP

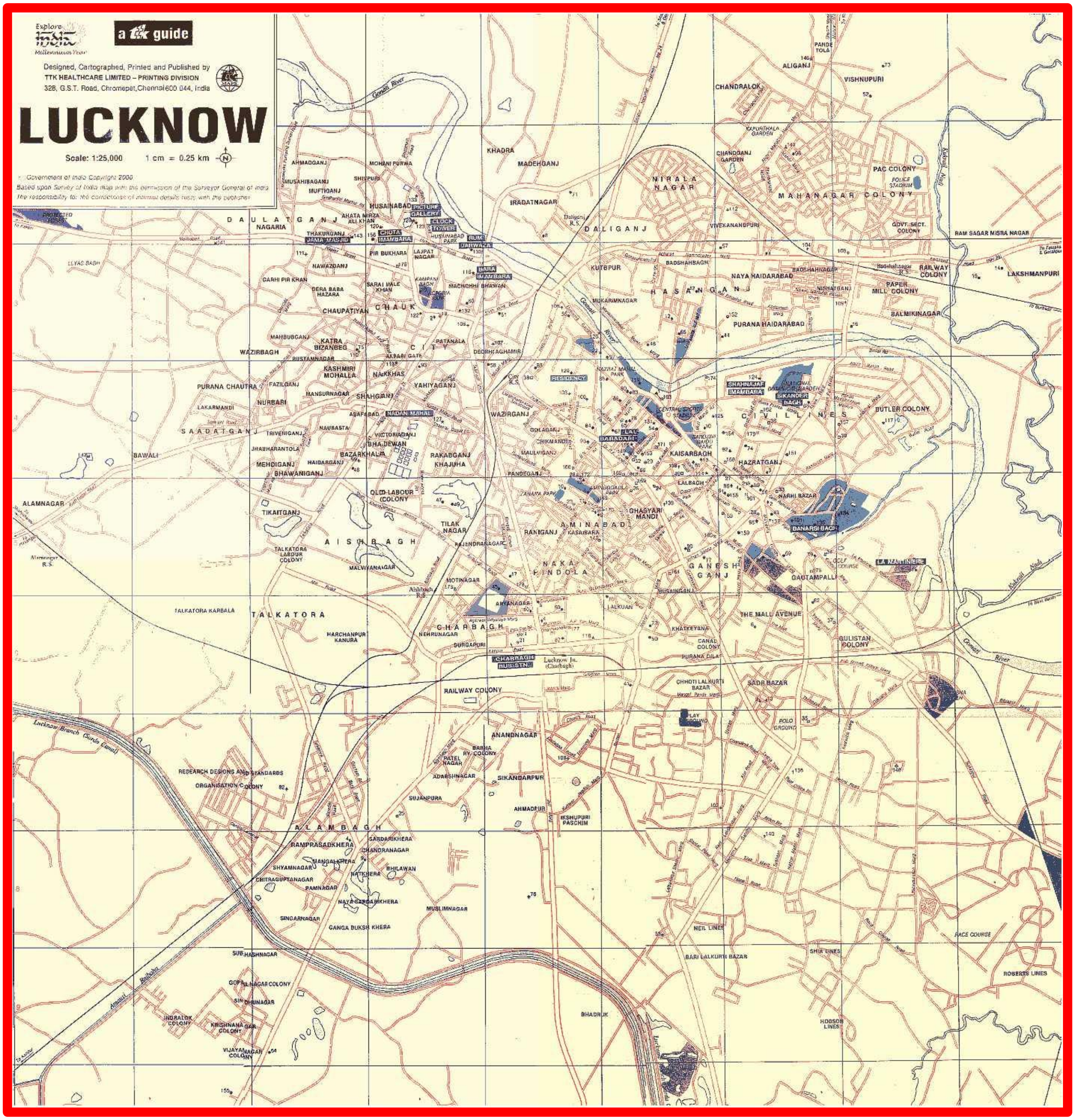

जनपद लखनऊ के बारे में

पूर्व में सुनहरा शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यह शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी आबादी लगभग 45,89,838 (2011 में) है। लखनऊ जिले एवं डिवीजन का एक प्रशासनिक मुख्यालय भी है। लखनऊ भारत का एक अल्पसंख्यक केन्द्रित जिला भी है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र में आता है जिसे अवध के नाम से जाना है। लखनऊ अपने लखनवी तहजीब के लिए भी जाना जाता है जिसमें दो समुदाय आपस में अपने भाईचारे की भावना को सदियों से बनाये हुए है, उनकी एक समान भाषा उर्दू है और एक अलग व ऐतिहासिक संस्कृति है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जानते है।

उत्पत्ति और इतिहास

ऐतिहासिक अवध बहुत पुराने हिन्दू राज्यों में से एक है। प्रचलित दन्तकथाओं के अनुसार लखनऊ के इतिहास की शुरूआत तब हुई जब भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को लक्ष्मण टीला पर एक कस्बा बसाने का आदेश दिया। इसलिए लोग कहते है कि लखनऊ का वास्तविक नाम लक्ष्मणपुर है, शायद लखनपुर या लक्ष्मणपुर। धीरे–धीरे लखनपुरी लखनौ में बदला और फिर अन्त में अग्रेजों द्वारा इसे लखनऊ नाम दिया गया। 1350 ए0डी0 में लखनऊ अवध क्षेत्र का एक भाग था और इस पर दिल्ली सल्तनत, मुगल दरबार, अवध के नवाब, ईस्ट इण्डिया कम्पनी और बिटिश राज्य का अधिकार था। लखनऊ स्वाधीनता के लिए हुए युद्ध, स्वाधीनता के लिए हुए असहयोग आन्दोलन के सबसे बड़े केन्द्रों में से एक था और स्वाधीनता के बाद उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर हो गया। 1719 में शासक द्वारा मुगल सल्तनत के शासनतंत्र की व्यवस्था हेतु अवध के सुबे में गवर्नर तैनात कर दिया। बुर्हान–उल–मुल्क के नाम से विख्यात सादत खान एक पर्सियन को 1722 में अवध का नाजिम तैनात किया गया। उसने लखनऊ के पास फैजाबाद में अपना दरबार स्थापित किया।

अवध भारत की हरियारी के नाम से मशहूर था और यहां गंगा और यमुना नदी के बीच के उपजाऊ क्षेत्र दोआब को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख भूमिका अदा की गयी। यह एक धनी राज्य था और मराठाओं, ब्रिटिश और अफगानों के लूटपाट से अपने को आजाद किये हुए था। बंगाल के भगौड़े नवाब मीर कासिम से मिलकर ब्रिटिश सरकार द्वारा तीसरे नवाब सुजाउद्दौला को हटा दिया गया। वह अवध के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बुरी तरह पराजित हुआ। इसके बाद उसे भारी अर्थदण्ड और अपने खजाने को जबरदस्ती देने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में राज्य पर अधिकार रखने और खजाने पर नियंत्रण रखने के लिए अपना एक शराणागाह बना लिया। वे अवध के बाहरी अधिकार प्राप्त करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उनको मराठाओं और अवशेष मुगल सल्तनत से सामना हो सकता है।

नवाब असफाकउद्दौला द्वारा लखनऊ को राजधानी बनाने के बाद लखनऊ में अत्यधिक बदलाव आया। वह एक महान लोकोपकारी व्यक्ति थे और उन्होंने लखनऊ को एक अलग पहचान देते हुए अपनी पैतृक सम्पत्ति बनाई। इन अवध के शासकों का बहुत से वास्तुकला धराहरों में योगदान रहा है। इन धरोहरों में आज बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी गेट संज्ञान में लेने योग्य उदाहरण है। अन्य योगदानों में एक गगां–जमुनी तहजीब के नाम से मशहूर संस्कृति भी है। 1798 ई0 पांचवे नवाब वजीर अली खान को अपने लोगों और अंग्रेजों द्वारा सत्ताविहीन कर दिया गया। तब अंग्रेजों ने सआदत खान को राजगद्दी पर बैठने में सहायता की। सआदत अली खान राजा कम अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। उसने 1801 की संधि के बाद अवध के आधे भाग को ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया और अपनी फौज को हुगली के बदले में

ब्रिटिश फौज को देने के लिए राजी हो गया। यह संधि अवध में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपने पैर जमाने में बहुत प्रभावी हुई। यह विचारधारा मुगल सल्तनत के नाम 1819 तक प्रभावी रही। 1801 की संधि कम्पनी के लिए अत्यनत लाभकारी सिद्ध हुई। वे अवध के बहुत बड़े खजाने को प्रयोग करने में सक्षम हो गये और जिसका प्रयोग कम दरों पर ऋण देने में करने लगे। इसके अतिरिक्त अवध की सेना द्वारा लगान वसूला जाने लगा जो दो राज्यों के बीच प्रभावी लगान था। नवाब एक औपचारिक राजा थे जो राज्य के छोटे–छोटे विषयों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही व्यस्त रहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश द्वारा अवध पर सीधा नियंत्रण करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया।

1856 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम अपनी सेना को बॉर्डर पर नियुक्त कर दिया गया और इसके बाद राज्य में शामिल कर दिया गया, जो चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेन्स के अधीन थी। तत्समय के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और फिर कम्पनी द्वारा कलकत्ता से निकाल दिया गया। परिणामस्वरूप 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के 14 वर्षीय बेटे बिर्जिस कादिर को शासक बना दिया गया और सर हेनरी लॉरेन्स युद्ध में मारा गया। बाद में विद्रोहियों के पराजय के बाद बेगम हजरत महल और अन्य विद्रोहियों द्वारा नेपाल मे शरण ली गयी। राज्य में तैनात की गयी कम्पनी की फौज जिनमें राज्य के कुछ श्रेष्ठ लोग भी थे, ने 1857 की घटना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्रोहियों द्वारा अवध पर नियंत्रण कर लिया गया और यह 18 महीनों तक ब्रिटिश से मुक्त रहा, यह प्रसिद्ध उपलब्धि लखनऊ की रही है। ब्रिटिश प्रशासन के शासन में अवध–चीफ कमिश्नर के नेतृत्व में फिर वापस स्थापित किया गया। 1877 में उत्तर–पश्चिम राज्य के लेफ्टिनेंट और औध के चीफ कमिश्नर जो एक ही व्यक्ति थे, को तैनात कर दिया गया। 1902 में जब आगरा और अवध के विभाजित भाग के नये नाम को लागू किया गया तब चीफ कमिश्नर का टाइटल हटा दिया गया। अवध द्वारा अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए कुछ मार्क स्थापित कर लिये गये।

अवध केकुछ भाग(अवध के दृष्टिकोण से) को ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा 1856 में शामिल कर लिया गया और उसे चीफ कमिश्नर के नेतृत्व में स्थापित कर दिया गया। 1857 स्वाधीनता विद्रोह में (जो भारतीय स्वाधीनता के प्रथम युद्ध के रूप में विख्यात है) लखनऊ में विद्रोही सेना से निपटने के लिए सेना से युक्त रेजीडेन्सी की स्थापना की। लखनऊ के इस प्रसिद्ध सेज को सर हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स औट्रोम जो सर कालिन कैम्पवेल के नेतृत्व में छोड़ी गयी सेना के साथ थे, से मुक्त करा लिया गया। सन् 1857 के विप्लव में रेजीडेन्सी, मॉछी भवन जैसे खूबसूरत इमारते तथा बगीचे युद्ध स्थल बन गये। ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ जाने के बाद ब्रिगेडियर जनरल सर राबर्ट नैपियर ने राजधानी की सुरक्षा हेतु योजना तैयार की तथा गोमती नदी के तीन सौ गज की दूरी तक सभी अवरोधों को हटवाया तथा सेना के आवागमन हेतु सीधी सड़कों का निर्माण करवाया। पुराने उपयोगी मार्गों की मरम्मत कराया। इसके लिए नगर को पांच भागों में विभक्त किया गया था। आज रेजीडेन्सी के खण्डहर और शहीद स्मारक 1857 के लखनऊ के योगदान की याद दिलाते है।

इस शहर ने प्रथम युद्ध की आजादी और नवीन भारतीय स्वाधीनता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लखनऊ का 1916 अधिनियम या खिलाफत आन्दोलन लोगों को ब्रिटिश के विरूद्ध एक सहयोगी स्तर प्रदान करता है। खिलाफत आन्दोलन में फिरंगी महल के मौलाना अब्दुल बारी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर मुख्य भूमिका अदा की थी।

भौगौलिक स्थिति :–

जनपद लखनऊ का भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ष 2001 के अनुसार 2528 वर्ग किलोमीटर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके पूरब में जिला बाराबंकी, पश्चिम में जिला उन्नाव, उत्तर में जिला सीतापुर तथा दक्षिण में रायबरेली जिला है। गोमती नदी जनपद लखनऊ के बीच से बहती है, जो जनपद लखनऊ को ट्रांस–गोमती एवं सिस–गोमती क्षेत्र में विभाजित करती है। जनपद लखनऊ में गर्म अर्ध–उष्णकटिबंधीय जलवायु है। सामान्यतः यहां शीतकाल दिसम्बर से फरवरी तक,ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक तथा जून के मध्य से मध्य सितम्बर तक वर्षा ऋतु का मौसम रहता है, जिसमें औसतन 1010 मिमी0 (40 इंच) अधिकांशतः दक्षिणी–पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण होती है। शीतकाल का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4–5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40–45 डिग्री तक जाता है और औसत उच्च तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।

–: जन सांख्यिकीय :–

❖ कुल जनसंख्या (2011)	–	45,89,838
❖ अनुमानित जनसंख्या (2025)	–	57,74,937
❖ पुरूष जनसंख्या	–	23,94,476
❖ महिला जनसंख्या	–	21,95,362
❖ जनसंख्या वृद्धि (दशकीय)	–	25.82 प्रतिशत
❖ जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी0)	–	1816
❖ लिंगानुपात	–	917 / 1000
❖ साक्षरता दर	–	77.29 प्रतिशत
❖ पुरूष साक्षरता दर	–	82.56 प्रतिशत
❖ महिला साक्षरता दर	–	71.54 प्रतिशत
❖ तहसीलें	–	05 (सदर, सरोजनी नगर, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, मोहनलालगंज)
❖ ब्लॉक	–	08 (बक्शी का तालाब, सरोजनी नगर, चिनहट, गोसाईगंज, माल, काकोरी, मलिहाबाद, मोहनलालगंज)
❖ नगर पंचायत	–	10 (बन्थरा, बक्शी का तालाब, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, काकोरी, इटौंजा, महोना, गोसाईगंज, अमेठी, नगराम)

1.1 हीटवेव का परिचय

हीटवेव असामान्य रूप से उच्चतम तापमान की वह अवधि है, जब तापमान सामान्य तापमान से अधिक दर्ज किया जाता है। सामान्यतः तापमान की यह स्थिति मार्च से जून तक होती है, परन्तु विगत कुछ वर्षों से यह तापमान वृद्धि मार्च से जुलाई तक दर्ज की जा रही है। यह निःसन्देह मनुष्य द्वारा वातावरण में विभिन्न माध्यमों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का परिणाम है।

उच्च आद्रता तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण उच्च तापमान क्षेत्रीय नागरिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी (डिहाईड्रेशन), शरीर में ऐंठन की शिकायत आती है। कभी–कभी इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हीटवेव को प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत जल एवं जलवायु सम्बन्धी आपदा के श्रेणी में साईलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। हीटवेव से प्रभावित होने वाले वृद्धजन, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मजदूर, किसान, गरीब, निराश्रित और दुर्बल लोग अधिक हैं। इसके अतिरिक्त हीटवेव जलसंसाधनों, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति को भी अत्यधिक प्रभावित करता है। इसी के साथ–साथ हीटवेव के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसके कारण तापमान और वर्षा के पैटर्न में भी आसामान्तः दर्ज की जाती है। परिणामस्वरूप ओलावृष्टि, सूखा, अतिवृष्टि और बेमौसम भारी बारिश जैसी समस्याओं का जनपद को सामना करना पड़ता है। इन आपदाओं के कारण जनहानि और पशुहानि के साथ–साथ समुदाय की विभिन्न आजीविकाओं, फसलों तथा ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक क्षति पहुंचती है।

नगरों एवं जनपद स्तर पर हीटवेव कार्ययोजना बनाये जाने के पश्चात जनपद में हीटवेव से होने वाली जनहानि में कमी दर्ज की गयी है, जिसका मुख्य कारण रियल टाईम मॉनीटरिंग, पूर्वानुमान एवं हीटवेव से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी तंत्र का विकसित किया जाना है। मीडिया का अधिकतम उपयोग करते हुए ई–मेल, व्हाट्स ऐप, फेसबुक, ट्विटर एवं प्रेस रिलीज़ के माध्यम से जनता तक हीटवेव की पूर्व चेतावनी पहुंचाई जा रही है।

तापमान बढ़ने का सीधा प्रभाव मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों पर होता है। तापमान के अनुकूल बनकर ही उच्च तापमान के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। जनपद लखनऊ के भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए हीटवेव कार्ययोजना तैयार की गयी है। निश्चित रूप से आगामी वर्ष में ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान वृद्धि के दुष्परिणामों का न्यूनीकरण करने में सहायक सिद्ध होगी।

1.2 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित सम्बन्धित मानदण्डः–

हीटवेव वायुमंडलीय तापमान की एक स्थिति है, जो शारीरिक तनाव का कारण बनती है, जो कभी–कभी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन गर्मी की लहर को लगातार 05 या अधिक दिनों के रूप में परिभाषित करता है, जिसके दौरान दैनिक अधिकतम तापमान औसत अधिकतम तापमान से $5^{o}C$ अधिक हो जाता है। अलग–अलग देश अपनी स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में गर्मी की लहर को अलग–अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। भारत में लू की स्थिति तब मानी जाती है, जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के

लिए कम से कम 40°C या अधिक, तटीय क्षेत्रों के लिए 37°C या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30°C या अधिक तक पहुंच जाता है। प्रचलित ताप लहर की स्थिति घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है:—

(अ) सामान्य से प्रस्थान के आधार पर—

- हीटवेव — सामान्य से विचलन 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है।
- भीषण गर्मी की लहर — सामान्य से विचलन 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है।

(ब) वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर (केवल मैदानी इलाकों के लिए)—

- हीटवेव — जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो।
- भीषण गर्मी की लहर — जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो।

हीटवेव घोषित करने के लिए मौसम विभाग के उपमंडल के कम से कम दो स्टेशनों पर लगातार कम से कम दो दिनों तक उपरोक्त मानदंडो का पूरा होना आवश्यक है। दूसरे दिन हीटवेव की घोषणा कर दी जाती है।

भारतीय मौसम विभाग की वार्षिक जलवायु सारांश रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में बड़ी सकारात्मक विसंगतियों के साथ 20वीं सदी की शुरूआत से भारत में औसत तापमान 0.63 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्षों की दर से बढ़ा है। इस अवधि में गर्मी के मौसम (मार्च—मई) के दौरान औसत तापमान में 0.56 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। देश के उत्तर और मध्य भागों में मार्च से जुलाई तक गर्मी के मौसम के दौरान औसतन 08 से अधिक लू वाले दिन और 01 से 03 गम्भीर लू वाले दिनों का अनुभव होता है। इसके अलावा, उत्तर—पश्चिम भारत, गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और पूर्वी तटीय भारत के कई स्टेशनों पर 10 दिनों से अधिक समय तक लू प्रकोप जारी रहा है, ज्यादातर मई और जून के दौरान। पिछले पांच दशकों में देश के अधिकांश हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के तापमान की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसलिए अत्यधिक तापमान का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर अधिक है।

तापमान/आद्रता सूचकांक

गर्मी की परेशानी का स्तर मौसम सम्बन्धी (तापमान, आरएच, हवा, सीधी धूप), सामाजिक/सांस्कृतिक (कपड़े, व्यवसाय, आवास) और शारीरिक (स्वास्थ्य, फिटनेस, आयु, अनुकूलन का स्तर) कारकों के संयोजन से निर्धारित होता है। यदि पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहे तो मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है, तो मानव शरीर वातावरण से गर्मी प्राप्त करना शुरू कर देता है। यदि आद्रता अधिक है तो कोई व्यक्ति 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी गर्मी के तनाव विकारों से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उच्च आद्रता पसीने के माध्यम से मानव शरीर से गर्मी के नुकसान की अनुमति नहीं देती है। कुछ देशों में आद्रता के प्रभाव की गणना के लिए हीट इंडेक्स वैल्यू का उपयोग किया जाता है। हीट इंडेक्स इस बात का माप है कि वास्तविक हवा के तापमान के साथ सापेक्ष आद्रता को शामिल करने पर वास्तव में कितनी गर्मी महसूस होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा नीचे दिये गये ताप सूचकांक चार्ट से पता चलता है कि यदि हवा का तापमान 34°C है और सापेक्ष आद्रता 75 प्रतिशत है, तो ताप सूचकांक कितना गर्म लगता है, जो कि 49°C है। यही प्रभाव केवल 31°C पर प्राप्त होता है, जब सापेक्षिक आद्रता 100 प्रतिशत होती है।

हालाँकि यह चार्ट ठंडे प्रदेशों में देशों में प्रचलित गर्मी की लहर की स्थिति और लोगों के अनुकूलन के लिए विकसित किया गया है और यह सीधे तौर पर भारत में लागू नहीं है। संयुक्त

राज्य राष्ट्रीय मौसम सेवा का कहना है कि इस चार्ट का उपयोग करके हीट इंडेक्स गणना चार्ट पर दर्शायी गयी सीमा के बाहर तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के लिए अर्थहीन परिणाम उत्पन्न कर सकती है। चूंकि भारत के कई हिस्सो में इस चार्ट की हमारी सीमा का तापमान और आर्द्रता असामान्य नहीं है, इसलिए इसका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। तापमान और आर्द्रता को एक साथ देखने की धारणा अच्छी है, हालाँकि भारतीय संदर्भ में एक उपयोगी मैट्रिक्स विकसित करने के लिए और अधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है।

Temperature / Humidity Index by NOAA, for USA

Relative Humidity %	Temperature °C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	55	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	42	45	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	38	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	39	43	47	51	55									
90	31	34	37	41	45	49	54										
95	31	35	38	42	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											

Caution | Extreme Caution | Danger | Extreme Danger

The US National Weather Service Heat Index Chart (http://www.nws.noaa.gov/os/heat/heat_index.shtml)

मौसम विभाग द्वारा परिभाषित सम्बन्धित मानदंडः–

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03 डिग्री सेल्सियस या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीटवेव कहते हैं। विश्व मौसम संगठन के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 05 डिग्री से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार 02 दिन तक 45 डिग्री से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीटवेव या लू कहते हैं।

जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से0 तक रहता है, तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु जैसे ही यह तापमान 37 डिग्री से0 से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है, जो कि वायुमंडल में नमीं की मात्रा के साथ–साथ बढ़ने लगता है और अधिक नमी के वातावरण में कम तापमान भी घातक प्रभाव डाल सकता है। इसका आशय यह है कि अधिक नमी वाले क्षेत्रों यथा–जंगलों व तराई वाले इलाकों में कम तापमान पर ही हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय किये जाने चाहिए।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा हीट वेव को निम्नवत परिभाषित किया गया है–

- ❖ हीट वेव को तब तक नहीं माना जाता जब तक मैदानी इलाको का अधिकतम तापमान 40 डिग्रीसेल्सियस से अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न हो जाये।
- ❖ जब एक स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम या बराबर होता है तो हीट वेव सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक है। सीवियर हीट वेव सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है।
- ❖ जब एक स्टेशन की सामान्य अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो हीटवेव सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस एवं सीवियर हीट वेव सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
- ❖ जब वास्तविक अधिकतम तापमान सामान्य अधिकतम तापमान के बावजूद 45 डिग्री सेल्सियस या अधिक रहता है, तो हीटवेव को घोषित किया जाना चाहिए।

1.3 भारत में ग्रीष्म लहर के प्रभावः–

आर्थिक प्रभावः– ग्रीष्म लहर की लगातार घटनायें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

1–उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

2–ग्रीष्म लहर का दिहाड़ी मजदूरों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

कृषि क्षेत्र पर प्रभावः– जब तापमान आदर्श सीमा से अधिक हो जाता है तो फसल की पैदावार प्रभावित होती है।

1–हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले रबी मौसम में अपनी गेहूँ की उपज में नुकसान होने की सूचना दी है। भारत भर में ग्रीष्म लहरों के कारण गेहूँ के उत्पादन में 6–7% की कमी होने का अनुमान किया गया है।

2–पशुधन भी ग्रीष्म लहरों की चपेट में आते हैं, जिनसे उनकी सेहत प्रभावित होती है और उत्पादकता घटती है।

3–कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि बढ़ते ग्रीष्म तनाव (heat stres) के कारण वर्ष 2100 तक भारत के शुष्क और अर्द्ध–शुष्क डेयरी फार्मिंग में दुग्ध उत्पादन में 25% (वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में) की कमी आ सकती है।

बिजली के उपयोग पर प्रभावः– ग्रीष्म लहर स्वाभाविक रूप से पावर लोड को प्रभावित करती है।

1–वर्ष 2022 में उत्तर भारत में अप्रैल माह में औसत दैनिक शीर्ष मांग वर्ष 2021 की तुलना में 13% अधिक थी, जबकि मई में यह 30% अधिक थी।

मानव मृत्युः– ग्रीष्म लहरों के कारण मानव मृत्यु की स्थिति भी बनती है, क्योंकि असहय चरम तापमान, जनजागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण स्थिति गम्भीर बनती जा रही है।

1–टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक गर्मी से प्रति वर्ष 1.5 मिलियन से अधिक लोग मृत्यु के शिकार होंगे।

2—बढ़ती गर्मी से मधुमेह, परिसंचरण एवं श्वसन सम्बन्धी रोगों के साथ—साथ मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में भी वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षाः— ग्रीष्म लहर और सूखे की घटनाओं के मेल से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।

1—गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता की हानि से खाद्य उत्पादन में आने वाली अप्रत्याशित कमी स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के जोखिमों को और गम्भीर कर देगी।

2—ये परस्पर प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और कुपोषण एवं जलवायु सम्बन्धी मौतों को बढ़ावा देंगे।

श्रमिकों पर प्रभावः— वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इन क्षेत्रों पर निर्भर हैं।

कमजोर वर्गों पर विशेष प्रभावः— जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जायेगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की सम्भावना है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हजारों कमजोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है।

HIGHEST TEMPRATURE IN LAST 05 YEARS IN LUCKNOW

YEAR	MAXIMUM TEMPRATURE RECORDED				
	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY
2020	34.4	38.8	44.1	39.9	37.4
2021	40.4	41.9	39.8	40.6	40.0
2022	40.4	45.1	43.0	44.0	39.6
2023	35.7	41.5	43.2	42.5	37.1
2024	39.0	44.0	45.8	45.3	46.0

MAXIMUM TEMPRETURE IN DISTRICT LUCKNOW

Maximum Temprature Recorded in July 2024

46.0 डिग्री सेल्सियस

Maximum Temprature Recorded in April 2025

43.0 डिग्री सेल्सियस

CHAPTER – 2
Formulation of Heat Wave Management Action Plan

2.1 हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना की आवश्यकताः–

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 03 दिन तक वहां के सामान्य तापमान से 03 डिग्री से0 या अधिक बना रहे तो उसे लू या हीटवेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 05 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान से 05 डिग्री से0 अधिक बना रहे अथवा लगातार 02 दिन तक 45 डिग्री से0 से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीटवेव या लू कहते हैं। जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री से0 तक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री0 से0 से ऊपर बढ़ता है, तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मी को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। अधिक नमी वाले स्थानों पर 37 डिग्री0 से0 पर भी शरीर पर दुष्प्रभाव होने लगता है। अतः जनमानस को हीटवेव से बचाने हेतु प्रभावी गतिविधियों को संचालित करने हेतु कार्ययोजना की आवश्यकता होती है। हीटवेव (लू) से कृषकों की फसलों के बचाव के लिए कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है एवं तालाबों को भी जल से भरा जाता है। भारत में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में हीटवेव या लू का प्रकोप देखा गया है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है। कभी–कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षों में भारत में हीटवेव के कारण हताहतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। हीटवेव की तीव्रता भारतवर्ष में लगातार बढ़ती जा रही है। हीटवेव के कारण वर्ष 2013 में भारत में 1216, वर्ष 2014 में 1677 तथा वर्ष 2015 में सर्वाधिक 2422 व्यक्ति हताहत हुए। हीटवेव के कारण वन्य जीव व पशु–पक्षियों की हानि भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में हीटवेव/लू की स्थिति :–

उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। राज्य के मैदानी इलाकों में जनवरी में औसत तापमान 03 से 04 डिग्री सेल्सियस और मई–जून में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में तीन अलग–अलग मौसम निम्नलिखित हैं।

1. **ग्रीष्मकालीन (मार्च–जून):–** गर्म और शुष्क तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक बढ़ जाता है। कभी–कभी 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कम सापेक्ष आर्द्रता (20%)। धूल भरी हवाएं।
2. **मानसून (जून–सितम्बर):–** प्रदेश की सम्पूर्ण वर्षा का लगभग 83 प्रतिशत वर्षा मानसून में होती है। इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्चतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
3. **शीतकालीन (अक्टूबर–फरवरी):–** ठंड (03 से 04 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) ने उत्तर प्रदेश को हीटवेव (लू) और गम्भीर हीटवेव से प्रभावित होने वाले राज्यों में चिन्हित किया है। राज्य के सभी हिस्सों में औसतन हर साल 03 से 04 हीटवेव की स्थिति देखी जाती है। माह अप्रैल 2022 में प्रदेश में गर्मी प्रचण्ड रूप में दर्ज की गयी। पिछले 71 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश के अन्दर अप्रैल माह में इतनी

अधिक गर्मी दूसरी बार दर्ज की गयी। वर्ष 2022 में प्रदेश के 09 ऐसे शहर रहे जिनमें दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक रहा।

जनपद लखनऊ में हीटवेव/लू की स्थिति :–

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जनपद लखनऊ में माह मार्च 2025 से माह जून 2025 तक तापमान निम्नानुसार रहा:–

क्र0सं0	माह का नाम	औसत तापमान
01	मार्च	अधिकतम 39.7 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस
02	अप्रैल	अधिकतम 43.0 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 21.0 डिग्री सेल्सियस
03	मई	अधिकतम 42.4 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस
04	जून	अधिकतम 42.0 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27.0 डिग्री सेल्सियस

जनपद लखनऊ में विशेषतः माह अप्रैल से माह जून के मध्य ग्रीष्म काल में तेज हवायें चलती है जिसको लू कहा जाता है। गर्मी के दिनों में खास कर के मई एवं जून के मध्य बहुत ही घातक तेज हवायें चलती है, जिसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों में व पालतू पशुओं में ऊष्माघात (Heat Stroke) होने की सम्भावनाएं बढ़ जाती है। शासकीय संसाधनों द्वारा आम जन को बचाव हेतु जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग व पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रातः एवं सायंकाल भ्रमण के द्वारा प्रभावित लोगों व पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2025 में जनपद लखनऊ का अधिकतम तापमान 43.0 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। लू अत्यधिक गर्म हवाओं का प्रभाव माह अप्रैल से ही जनपद में दिखने लगता है, और माह मई से जून तक लू का प्रभाव और भी घातक हो जाता है परन्तु लू से जनपद में भारी जन अथवा पशु की क्षति होना नहीं पाया गया है।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्यः–

हीटवेव वायुमंडलीय तापमान की एक स्थिति है जो शारीरिक तनाव की ओर ले जाती है, जो कभी–कभी मानव जीवन का दावा कर सकता है। हीटवेव को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां अधिकतम तापमान होता है। एक ग्रिड बिंदु पर 03 डिग्री सेल्सियस या सामान्य तापमान से अधिक, लगातार 3 दिनों या उससे अधिक के लिए। मौसम विज्ञान संगठन एक गर्मी की लहर को पांच या अधिक लगातार दिनों के रूप में परिभाषित करता है, जिसके दौरान दैनिक अधिकतम तापमान औसत अधिकतम तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अगर किसी भी स्थान का अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है, लू की स्थिति कहलाती है। पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर रहने पर मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी पर्यावरण का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ता है, मानव शरीर वातावरण से गर्मी प्राप्त करना शुरू कर देता है। यदि आद्रता अधिक है तो ऊष्मा तनाव विकारों से भी पीड़ित हो सकता है। आद्रता की गणना करने के लिए हम हीट इंडेक्स वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं। हीट इंडेक्स इस बात का माप है कि वास्तव में कितना गर्म महसूस होता है। जब सापेक्ष आद्रता को 09 वास्तविक हवा के तापमान के साथ जोड़ा जाता है। सापेक्ष आद्रता होने पर सामान्य प्रभाव 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। हीटवेव (लू) से जनपद स्तर पर प्रभाव गत वर्षों से देखा गया है। विगत वर्षों में दैनिक अधिकतम तापमान, औसत अधिकतम तापमान 6–8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो गया है,

जिसके क्रम में जन–मानस, पशु हानि, कृषकों को समय–समय पर जागरूक कर हीटवेव (लू) के प्रभावों को न्यून कर मा0 मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति को साकार करना है।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुसार हीटवेव कार्ययोजना तैयार करने के निम्नवत उद्देश्य हैं:–

- संवेदनशील स्थानों और संवेदनशील आबादी की पहचान करना।
- प्रभावी रणनीति विकसित करना।
- हितधारकों की भूमिकायें और जिम्मेदारियां निर्धारित करना।
- लू–स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए विभिन्न एजेंसियों से समन्वय करना।
- प्रारम्भिक चेतावनी एवं लू अलर्ट जारी करना।
- प्रलेखन और रिपोर्टिंग करना।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना):–

जो लोग 75 वर्ष से अधिक आयु के सबसे अधिक जोखिम वाले लोग होते हैं, शिशु व छोटे बच्चे, गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, वे लोग जिनका वजन ज्यादा है या जो स्थूलकाय हैं, वे लोग जो चल–फिर नहीं सकते, वे लोग जो अकेले रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है या कोई सामाजिक सहारा नहीं है, वे लोग जो गर्म वातावरण में काम करते हैं, वे लोग जो गर्मी में जोशपूर्ण रूप से व्यायाम करते हैं, वे लोग जिन्हें लम्बी पुरानी बीमारियां हैं (जैसे कि दिल की बीमारी, ऊँचा रक्तचाप, डाईबिटीज़ या गुर्दे की बीमारी, मानसिक बीमारी, डिमेन्शिया, शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना), वे लोग जिन्हें घातक बीमारी है जैसे कि कोई संक्रामक रोग, जिसमें बुखार या आंतों में सूजन (Gastroenteritis) की बीमारी हो (दस्त अथवा उल्टी आना) गर्मी के मौसम में सभी का ध्यान रखना चाहिए। जनपद लखनऊ में यद्यपि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें पशुपालन/पशु प्रभावित हों, फिर भी यदि किसी क्षेत्र में हीटवेव से प्रभावित जन–सामान्य अथवा पशुओं की सूचना संज्ञान में आती है तो जनपद स्तर पर तैयारी पूर्ण कर ली जाती है।

2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियां:–

- **पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं इंटर–एजेंसी समन्वय तंत्र विकसित करना** – राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं इंटर–एजेंसी समन्वय तंत्र विकसित करना, जिससे पूर्वानुमानित अधिकतम और तीव्र तापमान के आधार पर स्थानीय निवासियों को चेतावनी जारी कर सतर्क किया जा सके। क्रियान्वयन के समय कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा इसकी स्पष्टता व्यक्तिगत एवं विभागों के स्तर पर सुनिश्चित करना।
- **क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम** – हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों को पहचानने और प्रतिक्रिया करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों एवं पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अति महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अत्यधिक हीटवेव के दौरान। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे वे प्रभावी तौर पर हीटवेव से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम एवं प्रबन्धन कर रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में कमी ला सकें।

➢ **समुदाय स्तर पर जन जागरूकता** – प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्री जैसे पर्चे, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से लू से बचाव सम्बन्धी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार के बारें में प्रचार–प्रसार करना। लू से बचाव हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना।

➢ **गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ सहयोग** – गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग एवं सहभागिता से जहां भी आवश्यक हो वहां अस्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों पर जल वितरण प्रणालियों में सुधार और हीटवेव (लू) की स्थिति से निपटने के लिए अन्य नवीन उपायों को अमल में लाना।

2.5 हीटवेव (लू) पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्रः–

➢ **पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र** – भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) भारत सरकार, वर्तमान और पूर्वानुमान मौसम की जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ मौसम सम्बन्धी सभी खतरों की पूर्व चेतावनी जारी करने के लिए नोडल विभाग है। यह चरम मौसमी घटनाओं जिसमें हीटवेव (लू) भी शामिल है, के सम्बनध में चेतावनी देता है। यह क्षेत्रीय मौसम केन्द्र तथा हवाई अड्डों पर स्थित रडार और उपग्रहों के माध्यम से डाटा एकत्र करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर मौसमी पूर्वानुमान व हीटवेव (लू) चेतावनी जारी करता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय मौसम केन्द्र अमौसी एयरपोर्ट स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केन्द्र से संचालित किया जाता है।

➢ प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली निर्णय लेने वालों की पूर्व तैयारियों को स्थापित करने में मदद करता है और मौसम की अनुकूल परिस्थितियों का दोहन करने के लिए उनकी तत्परता को बढ़ाता है। आई0एम0डी0 द्वारा प्रदत्त सटीक और समयबद्ध चेतावनी मानव जनहानि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित रूग्णता को कम करने में प्रभावी होती है।

➢ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हीट इंडेक्स (तापमान और आद्रता के आधार पर) चेतावनी जारी करता है। यह ईमेल द्वारा राहत आयुक्त, जिला अधिकारियों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो सहित अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना प्रसारित करता है। राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा ईमेल, फैक्स और एस.एम.एस. के माध्यम से सभी अधिकारियों (आयुक्त, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार इत्यादि) के कार्यालयों एवं सी.यू.जी. मोबाइल नम्बर पर तत्काल भेज दी जाती है। चेतावनी मिलने के तुरन्त बाद राज्य और जिला आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्र मीडिया के सभी रूपों के माध्यम से चेतावनी के प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, श्रम, परिवहन और अन्य सम्बन्धित विभाग सतर्क रहते हैं और इस चेतावनी का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के साथ ही आपातकालीन उपाय भी करते हैं।

सामान्य : तापमान/आर्द्रता सूचकांक

Relative Humidity %	Temprature ^{o}C																
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
40	27	28	29	30	31	32	34	35	37	39	41	43	46	48	51	54	57
45	27	28	29	30	32	33	35	37	39	41	43	46	49	51	54	57	
50	27	28	30	31	33	35	36	38	41	43	46	49	52	55	58		
55	28	29	30	32	34	36	38	40	43	46	48	52	54	58			
60	28	29	31	33	35	37	40	43	46	48	51	55	59				
65	28	30	32	34	36	39	41	44	48	51	55	59					
70	29	31	33	35	38	40	43	47	50	54	58						
75	29	31	34	36	39	42	46	49	53	58							
80	30	32	35	37	41	44	48	52	57								
85	30	33	36	38	43	47	51	55									
90	31	34	37	39	45	49	54										
95	31	35	38	40	47	51	57										
100	32	36	40	44	49	56											

Source:- Calculated F to C from NOAA's National Weather Serv

2.6 हीटवेव चेतावनी कलर कोडः—

भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान समय में सम्पूर्ण देश के लिए चेतावनी जारी करने की रंग संकेत एकल प्रणाली (Color Code Signal System) का अनुसरण करता है। यह प्रणाली अपेक्षित गर्मी के खतरे की गंभीरता के सम्बन्ध में सलाह देती है।

हरा (कोई कार्रवाई नहीं)	सामान्य दिन	अधिकतम तापमान सामान्य के निकट हैं।
पीला (अद्यतन किया जाये)	गर्मी चेतावनी	1—जिला स्तर पर गर्मी की लहर की स्थिति होने की संभावना है। 2 दिनों के लिए जारी रहेगी।
नारंगी (तैयार रहो)	गंभीर गर्मी वाले दिन के लिए चेतावनी	1—गंभीर गर्मी की लहर की स्थिति 2 दिनों के लिए जारी रहेगी। 3—विविध तीव्रता के साथ, गर्मी की लहर की संभावना है। 4 दिनों या उससे अधिक के लिए बनी रह सकती है।
लाल चेतावनी (कार्रवाई करें)	अत्यधिक गर्मी वाले दिन के लिए चेतावनी	1—गंभीर गर्मी की लहर 2 से अधिक दिनों के लिए बनी रह सकती है। 2—गंभीर गर्मी की लहर, 6 दिन से अधिक होने की संभावना है।

Red Alert	Extreme Heat Alert For The Day
Orange Alert	Heat Alert Day
Yellow Alert	Hot Day
White	Normal Day

3.1 विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्वः–

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणःसमन्वयकारी समितियां/विभागः– हीटवेव (लू) कार्ययोजना को जनपद में प्रभावी करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से निम्नांकित समितियों और विभागों का समन्वय आवश्यक है।

- जिला प्रशासन
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- स्थानीय शहरी निकाय
- नगर निगम
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- पुलिस विभाग
- पशुपालन विभाग
- शिक्षा विभाग
- पंचायती राज विभाग
- परिवहन विभाग
- लोक निर्माण विभाग
- कृषि विभाग
- सड़क
- प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया

हीटवेव (लू) कार्ययोजना को जनपद में प्रभावी करने हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न समितियों और विभागों की जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती हैं। विभिन्न विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां निम्नांकित प्रकार से सुनिश्चित की जाती हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागःभूमिका और जिम्मेदारियाँ

- हीटवेव (लू) चिकित्सा तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- लू प्रतिक्रिया समन्वय के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना।
- उष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामलों के लिये चिकित्सा प्रतिक्रिया तैयारी सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागःसमन्वयकारी समितियां/विभाग

- ब्लॉक प्रशासन
- स्थानीय शहरी निकाय
- समाज कल्याण विभाग
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- पंचायती राज विभाग
- एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स

स्थानीय शहरी निकायःभूमिका और जिम्मेदारियाँ

- हीटवेव (लू) के संदर्भ में शहर, कस्बे और वार्ड की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- स्थानीय शहरी निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से विभागों एवं जनता को लू की चेतावनी जारी करना।
- सार्वजनिक स्थल पर पेयजल और स्नान की सुविधा स्थापित करना।
- पानी के टैंकर की व्यवस्था करना।
- प्रतिक्रिया उपायों का कार्यान्वयन करना।

स्थानीय शहरी निकायःसमन्वयकारी समितियां/विभाग

- अग्निशमन विभाग
- पुलिस विभाग
- स्वास्थ्य विभाग (स्थानीय शहरी निकाय)
- जल आपूर्ति अनुभाग (स्थानीय शहरी निकाय)
- वार्ड के पदाधिकारी
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता
- एन0जी0ओ0, चैरिटी ट्रस्ट

पंचायती राज विभागःभूमिका और जिम्मेदारियां

- पंचायती राज विभाग की लू की तैयारी और प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- गर्मियों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खाना पकाने के समय को निर्धारित करना।
- पानी के टैंकर की व्यवस्था करना।
- सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की सुविधा स्थापित करना।
- जानवरों के लिए लू की तैयारी करना।

पंचायती राज विभागःसमन्वयकारी समितियां/विभाग

- पंचायती राज विभाग के ब्लॉक एवं स्तरीय अधिकारी
- समाज कल्याण विभाग
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
- एन0जी0ओ0, चैरिटी ट्रस्ट
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- पशुपालन विभाग

पशुपालन विभागःभूमिका और जिम्मेदारियां

- जानवरों के लिए लू की तैयारी करना।
- जनपद में पशुधन, पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्र का डेटाबेस तैयार करना।
- पशु चिकित्सा से सम्बन्धित दवाओं और उपकरण की स्थिति का आंकलन एवं एवं स्टोरेज सुनिश्चित करना।
- पशुओं के लिए पशु आश्रय एवं शेड का निर्माण करना।
- सूखे की स्थिति में चारा शिविर का आयोजन।
- पशुओं के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

- जानवरों में लू सम्बन्धित मामलों का विश्लेषण करना और निष्कर्षों को अगले वर्ष की प्रतिक्रिया योजना में शामिल करते हुए अपडेट करना।
- पशुओं पर लू के प्रभाव की सूचना जिला इमरजेन्सी नियंत्रण कक्ष को प्रदान करना।

पशुपालन विभागःसमन्वयकारी समितियां/विभाग

- राजस्व विभाग
- पंचायती राज विभाग
- बीमा कम्पनियां

पुलिस विभागःभूमिका और जिम्मेदारियां

- ट्रैफिक पुलिस के लिए लू प्रतिक्रिया योजना बनाना।
- यातायात पुलिस को शरीर को ठंडा रखने वाले जैकेट, हल्के जूते एवं अच्छी गुणवत्ता के चश्में प्रदान करना। यह तरीका शरीर के तापमान को 3 से 4 घंटे के लिए 6 से 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस के लिए उचित शेड या छाता शेड की व्यवस्था करना।
- ट्रैफिक पुलिस को हीटवेव से बचाव एवं देखभाल पर संवेदनशील बनाना।

पुलिस विभाग'समन्वयकारी समितियां/विभाग

- स्थानीय शहरी निकाय
- लोक निर्माण विभाग
- एन0जी0ओ0, चैरिटी ट्रस्ट

श्रम विभागःभूमिका और जिम्मेदारियां

- मजदूरों के लिए लू प्रतिक्रिया योजना बनाना।
- निर्माण कम्पनियों और उद्योगों का डेटाबेस तैयार करना, जिसमें बाहरी गतिविधियों और कार्यक्षेत्र में कामगार शामिल हों।
- लू के दौरान विशेष रूप से खुले में मैनुअली काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम के घंटे का निर्धारित करने या लचीला बनाने हेतु निर्देश जारी करना।
- श्रमिकों को उनके शरीर की सुरक्षा के लिए लंबी बाजू की शर्ट, टोपी और कान व गर्दन को कपड़े से ढकने के निर्देश जारी करना।
- श्रमिकों के लिए छायादार स्थान पर विश्राम क्षेत्र के निर्माण के लिए नियोक्ताओं को निर्देशित करना।
- नियोक्ताओं द्वारा निर्माण/कार्यस्थल पर प्राथमिक चिकित्सा किट, आइस पैक, पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- निर्माण स्थल पर निकटतम स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस के सम्पर्क विवरण को प्रदर्शित करने के लिए निर्माण प्रबन्धकों को निर्देशित करना।
- निर्माण स्थल पर आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधा हेतु श्रमिकों को स्थानान्तरित करने के लिए परिवहन सुविधा का प्रावधान करने हेतु निर्माण प्रबन्धको को निर्देशित करना।
- हीट स्ट्रोक के मामलों की सूचना जिला इमरजेन्सी नियंत्रण कक्ष को प्रदान करना।

श्रम विभागःसमन्वयकारी समितियां/विभाग

- स्थानीय शहरी निकाय
- रीयल एस्टेट एसोसिएशन
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता
- एन0जी0ओ0, चैरिटी ट्रस्ट, डी0ई0ओ0सी0 के माध्यम से समन्वित लू प्रतिक्रिया

तालिका के अनुसार भी विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। विभागवार जिम्मेदारियां–

1. **हीटवेव/लू के पूर्व के समय 'फरवरी से मार्च'**
2. **लू/हीटवेव के दौरान ''अप्रैल–जुलाई''**
3. **लू/हीटवेव के बाद ''अगस्त से अक्टूबर''**

विभाग का नाम **Department**	**कार्यवाहीयॉ Phase-1 Activities लू के पूर्व (''फरवरी से मार्च'')**	**कार्यवाहीयॉ Phase-2 Activities लू के दौरान (''अप्रैल से जुलाई'')**	**कार्यवाहीयॉ Phase-3 Activities लू के पूर्व (''अगस्त से अक्टूबर'')**
स्वास्थ्य विभाग	1–प्रचार माध्यमों द्वारा हीट वेव (लू) के दौरान जनता को ''क्या करें, क्या न करें'' के बारें में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना। 2–अस्पतालों एवं हेल्प सेंटर्स में पावर सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। 3–सभी अस्पतालों/पी.एच.सी/सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रो को हीट–वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24X7 क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाये।	1–हीट वेव (लू) के दौरान प्रचार–प्रसार हेतु आई0ई0सी0 सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा। 2– हीट वेव (लू) अर्थात गर्मी के मौसम में की जाने वाली गतिविधियों को जारी रखने की योजना बनाई गई है। 3–हीट वेव (लू) के दौरान अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण के लिए आशा वर्करों को O.R.S दिया जाएगा। 4–बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और मरीजों पर हीट वेव के दौरान पड़ने वाले प्रभावों की पृथक से रिपोर्ट तैयार करना। 5–अप्रैल–जून के महीने के दौरान	1–जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखने के लिए वन एवं कृषि विभाग के साथ अन्तर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 2– हीट वेव के दौरान की गई कार्यवाहियों और गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। 3–बच्चों,बुजुर्गों,महिलाओं और मरीजों पर हीट वेव के दौरान पड़ने वाले प्रभावों की पूर्व में तैयार रिपोर्ट की समीक्षा करना। 4–हीट हीटस्ट्रोक/हीट स्कोप और अन्य हीट डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के विस्तृत केस स्टडी की योजना बनाई गई है।

कृषि विभाग	1—सुबह व शाम के समय कृषक सिंचाई करें, दोपहर में न करें, जिससे खेत में नमी बनी रहे। 2—गेहूँ की कटाई दोपहर में न करें। सुबह व शाम के समय करें। 3— खेत में काम करते समय पीने का पानी साथ में रखें। 4—विलम्बित मानसून के सम्बन्ध में धान की एक छोटी अवधि की रोपाई की जानी चाहिए।	1—समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय मौसम एवं तापमान की जानकारी पँहुचाना। 2—किसान पाठशाला और गोष्ठी/ के माध्यम से हीट वेव (लू) के प्रति कृषकों को जागरूक करना। थ्कसान मेला के माध्यम से हीट वेव (लू) के प्रति कृषकों को जागरूक करना।	1— हीट वेव (लू) के दौरान की गई कार्यवाहियों और गतिविधियों की समीक्षा करना प्रस्तावित हैः— 2—हीट वेव (लू) का फसलों पर प्रभाव संबन्धी रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। 3—हीट वेव (लू) के दौरान फसलों को हुई क्षति का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
सिंचाई विभाग	1—कृषकों की फसलों की सिंचाई हेतु जल एकत्रीकरण की व्यवस्था करना। 2—पशुओं को पानी पीने हेतु तालाबों को जल से भरा जाना। 3—विभिन्न जल स्त्रोतों को उपयोग हेतु दुरूस्त करवाना।	1—कृषकों की फसलों के बचाव के लिये कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना एवं अधिक उपयोग जैसी तकनीकों से कृषकों को जागरूक करना। 2—ग्राउंड वॉटर के जल स्त्रोतों का रख रखाव करना।	1—वेव (लू) के दौरान सामने आई चुनौतियों की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करना।
शिक्षा विभाग	1—प्रधानाचार्यों को हीट वेव के सम्बन्ध में पूर्व से निर्देश प्रदान कर समस्त छात्र/छात्राओं एवं अध्यापको जानकारी दिया जाना तथा प्रचार—प्रसार किया जाना। 2—सभी विद्यालयों में पंखें, कूलर एवं ठडे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। छात्र संख्या के अनुसार पंखों की संख्या निर्धारित कर विद्यालयों में आपूर्ति कराना।	1—तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालयों के समय में यथा सम्भव एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाना। 2— छात्र/छात्रओं हेतु विद्यालयों में पावर सप्लाई व पखें आदि की व्यवस्था कराना। छात्र—छात्राओं को हीट वेव (लू) के दौरान ''क्या करें, क्या न करें'' के बारे में शिक्षा प्रदान करना। 3—हीट वेव (लू) के दौरान ठंडे पेयजल की व्यवस्था करना। कक्षाओं के खिड़की, दरवाजों को खुला रखना।	1—हीट वेव के दौरान की गई कार्यवाहियॉ और गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार कर समीक्षा किया जाना प्रस्तावित।

पशु चिकित्सा विभाग	1—पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए हीट वेव (लू) के मौसम से पूर्व सतर्क रहते हुए जन—जागरूकता अभियान चलाया जाना। 2—भारत सरकार के द्वारा चलाये जा रहे खुरपका/मुँहपका एवं गल घोंटू रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराया जाता है। 3—जनपद में पशुधना, पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्र का डेटाबेस तैयार करना । 4—पशु चिकित्सा से संबन्धित दवाओं और उपकरण की स्थिति का आकलन एवं स्टोरेज सुनिश्चित करना।	1—पशुओं में सम्भावित बीमार बुखर, दस्त आदि पर तत्काल प्रभावी नियन्त्रण करना। 2—पशु चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा तत्काल होने वाली बीमारियों पर नियन्त्रण रख पाना आदि विभाग की व्यक्तिगत जिम्मेदारियॉ है। 3—हीट वेव (लू) से पशुओं को बचाने हेतु पशुपालकों को जागरूक करना कि पशुओं को छाया रखा जाये एवं समय—समय पर नहलाया जाये। 4—अप्रैल—जून के मध्य प्रायः गर्मी अधिक होती है अतः सभी पशुपालकों को कैम्पों के माध्यम से दवाईयॉ, टीके, मिनरल, मिक्चर आदि वितरण किये जायेंगे।	1—जुलाई—सितम्बर तक बारिश का मौसम रहता है उक्त समय में गला घोटू बीमारी हो जाती है जिस के लिए जनपद स्तर पर टीका मंगा लिया जाता है एवं जनपद में टीकाकरण करा लिया जाता है। 2—नवम्बर—दिसम्बर माह के दौरान प्रायः शीत एवं शीतलहर का मौसम रहता है अतः इस दौरान पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय किये जाते हैं।
अग्निशमन विभाग	1—अग्निशमन विभाग के माध्यम से हीटवेव के समय अत्यधिक तापमान होने के कारण अग्नि दुर्घटनाओं में वृद्धि की सम्भावना बनी रहती है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु सभी संसाधनों यथा मेन पॉवर व मशीनों को सदैव उपयोग हेतु तैयार हालत में रखना। 2—सामान्यजन को अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम व बचाव के उपायों से निरन्तर प्रचाार प्रसार के माध्यम से जागरूक करना। 3—जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विवरण आपदा कार्यालय को उपलब्ध कराना।	1—संसाधनों यथा मेन पॉवर व मशीनों को सदैव उपयोग हेतु तैयार हालत मे रखना। 2—जनपद में 24X7 हेल्पलाइन नंबर का प्रचार—प्रसार करना एवं हेल्पलाइन नंबर की सदैव उपलब्धता सुनिश्चित करना।	1—हीट वेव (लू) के दौरान विभाग द्वारा प्राप्त केसों की रिपोर्ट तैयार करना। 2—अग्निशमन विभाग द्वारा प्राप्त केसों की केस स्टडी तैयार करना एवं सभी प्रकार की क्षति का पृथक से आकलन करना प्रस्तावित है।

जल निगम	1–जलनिगम (नगरीय) उ0प्र0 सरकार का एक उपक्रम है, जो कि शहरी क्षेत्र में पेय जल एवं सीवरेज संभवरण के निर्माण कार्यों का सम्पादन करता है। कार्यपूर्ण होने पर संचालित अवस्था में सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायत के रख–रखाव एवं संचालन हेतु हस्तान्तरित कर देता है। जलापूर्ति सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों द्वारा सम्पादित किया जाता है।	1–हीट वेव (लू) के दौरान पेयजल व दैनिक उपभोग हेतु जल की व्यवस्था और आपूर्ति सुनिश्चित करना। 2–हीट वेव (लू) से पूर्व पेयजल के समस्त स्त्रोतों का निरीक्षण व दुरूस्तीकरण सुनिश्चित करना। हीट वेव (लू) से पूर्व जनपद स्तर पर जलापूर्ति के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करना।	1–हीट वेव (लू) के दौरान प्रकाश में आईं चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1–हीट वेव/लू चिकित्सा तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा करना। 2–हीट वेव (लू) नियंत्रण कक्ष की तैयारियों को सुनिश्चित करना।	1–लू प्रतिक्रिया समन्वय के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना। 2–उष्माघात/हीट स्ट्रोक के मामलों के लिये चिकित्सा प्रतिक्रिया तैयारी सुनिश्चित करना। 3–जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को हीट–वेव के सम्बन्ध में अलर्ट जारी करना।	1–हीट वेव (लू) की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तरपर समीक्षा
परिवहन विभाग	1–हीट वेव (लू) तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा करना। 2–बसों की छतों पर हल्के रंग का प्रयोग करना। 3–हीटवेव (लू) के लिए बसों के शीशों की जांच कराना।	1–बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पेयजल तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना। 2–बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए छांव एवं पेयजल की व्यवस्था करना। 3–बस कंडक्टरों को ओ0आर0एस0 के पाउच उपलब्ध कराना।	1–हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।

पशुपालन विभाग	1–मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीटवेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा करना। 2–जनपद स्तर पर समस्त गौशालाओं में लू से बचाव के समस्त उपाय करना। 3–पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाये। साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।	1–गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबन्धन पर पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों और गौपालकों को सक्रिय करना। 2–सार्वजनिक स्थानों में लू से बचाव के लिए पशु प्रबन्धन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित कराना। 3–मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था कराना।	1–हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1–गर्मी से सम्बन्धित बीमारियों पर जन जागरूकता, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्स ऐप) व दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हीटवेव (लू) से बचाव का व्यापक प्रचार– प्रसार कराना।	1–जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हीटवेव (लू) से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें की जारी एडवाईजरी का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।	1–हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
मनरेगा विभाग	1–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिए समय (12:00 से 03:00 बजे) हीटवेव (लू) बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्था कराना। 2–सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।	1–मजदूरों के कार्य करने के स्थान पर ठंडे पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना। 2–श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किये जायें।	1–हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।

वन विभाग	1—पब्लिक प्लेस/ सार्वजनिक स्थानों में उचित वनीकरण कराना। 2—वन क्षेत्र में जानवरों एवं पक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्रोतों का उचित प्रबन्धन करना।	1—जंगल क्षेत्र में आग से बचाव के लिए उचित व्यवस्था करना एवं निरन्तर निगरानी बनाये रखना। 2—सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।	1—हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
समस्त नगर पालिका	1—बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी। 2—बस स्टैंडों पर यात्रियों के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था कराना। 3—आवश्यकतानुसार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों/ स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हांकन करते हुए विभिन्न स्थलों पर प्याऊ आदि की योजना बनाना।	1—मंदिरों/लोक भवनों /व्यवसायिक स्थलों में कूलिंग सेंटर संचालित किये जायें। 2—यात्रियों एवं मुसाफिरों के लिए पीने के पानी तथा लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना। 3—नगरीय क्षेत्रों के सब्जी मण्डी/चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था तथा नगर के दूर—दराज के क्षेत्रों में पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।	1—हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
विद्युत विभाग	1—शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे हुए बिजली के खम्भों आदि को सुदृढ़ कराना व क्षेत्रों में समय—समय पर रोस्टर के आधार पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	1—जनमानस द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर यदि किसी कारण से बिजल की आपूर्ति ठप हो जाये तो उन क्षेत्रों में यथाशीघ्र बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था कराना।	1—हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।
पंचायती राज विभाग	1—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत काम करने का समय दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक प्रतिबन्धित करना। 2—श्रमिकों के कार्यस्थल पर पेयजल और छाया की व्यवस्था करना।	1—ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों, चौराहों व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित ग्रामों में पानी की टंकी/टैंकरों आदि की व्यवस्था की जाये। 2—आवश्यकतानुसार विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों/ स्थलों पर (जहां छाया हो/लोगों का ठहराव होता हो) आदि का चिन्हांकन करते हुए विभिन्न स्थलों पर शीतल पेयजल आदि की व्यवस्था कराना।	1—हीटवेव (लू) के दौरान प्रकाश में आई चुनौतियों का डेटाबेस तैयार करना एवं इसके लिए आगामी प्रभावी योजना तैयार करना।

हीटवेव (लू) के प्रभावी प्रबन्धन हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों को जारी पत्रों का विवरण

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पत्रांकः 597 /ए0सी0आर0ए0/आपदा/2024–25

दिनांकः 25 फरवरी, 2025

विषयः–हीटवेव एक्शन प्लान–2024 को अद्यतन करते हुए हीटवेव एक्शन प्लान–2025 तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त, आवास विकास परिषद, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।
8. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ।
9. उप श्रमायुक्त, श्रम विभाग, लखनऊ।
10. उप निदेशक, कारखाना, लखनऊ।
11. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, ऐशबाग, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
13. उपायुक्त मनरेगा, लखनऊ।
14. प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
15. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
16. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
17. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
18. जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0), लखनऊ।
19. जिल उद्यान अधिकारी, लखनऊ।
20. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
21. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ।
22. प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ।
23. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, गोमती नगर/बंगला बाजार, लखनऊ।
24. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ।
25. सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, लखनऊ।
26. अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या 1465/हीटवेव/2024–25, दिनांक 19.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण के पत्र संख्या 1004/हीटवेव/2023–24, दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से हीटवेव कार्ययोजना–2024 बनाये जाने के निर्देश जारी किये गये थे, जिसके कम में समस्त जनपदों द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध करा दी गयी है। तत्कम में हीटवेव एक्शन प्लान–2025 का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्कम में आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में जनपद लखनऊ के आम जनमानस, छात्र–छात्राओं, बुजुर्ग व्यक्तियों एवं पशु–पक्षियों को हीटवेव से राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्न कार्यवाहियां किया जाना आवश्यक हैं:–

कार्यवाहियाँ

- नगर निगम के अन्तर्गत समस्त जोन में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करायी जाये। गर्मी से राहत प्रदान करने हेतु कूलिंग स्टेशन की स्थापना करायी जाये। नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले समस्त पार्कों एवं दर्शनीय स्थलों तथा समस्त पार्कों जैसे अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, ईको गार्डेन इत्यादि पर आने वाले पर्यटकों हेतु छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाये। नगर निगम के अन्तर्गत कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों के कार्य के समय में परिवर्तन कराते हुए उन्हें प्रातः जल्दी तथा सांय को देर तक कार्य करने के निर्देश दिये जायें। इसके अतिरिक्त नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थायी रैन बसेरों में भीषण गर्मी से बचाव हेतु पेयजल, पंखे इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जनपद लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल डिस्पले बोर्ड पर गर्मी से उत्पन्न होने वाली समस्या तथा उससे बचाव हेतु लघु चलचित्र प्रदर्शित किये जायें।

  (कार्यवाही–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/ सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण/अपर आयुक्त आवास विकास परिषद/ समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लखनऊ)

- समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से जनपद लखनऊ में हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार कराया जाये तथा विभिन्न योजनाओं में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों हेतु हीटवेव के दौरान समय का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य की अवधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कराया जाये। ठेकेदारों एवं कार्यदायी संस्थाओं को कार्यस्थल पर प्याऊ एवं ओ0आर0एस0 की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

  (कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ/उप श्रमायुक्त)

- जनपद लखनऊ में स्थापित समस्त जनपद स्तरीय शासकीय चिकित्सालय, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हीटवेव से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 की उपलब्धता एवं जीवन रक्षक औषधि व दक्ष चिकित्सा दल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। हीटवेव से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल उपचार प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाये। हीटवेव से आम जनमानस को जागरूक करने हेतु समय–समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाये।

  (कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव जिला स्वास्थ्य समिति/सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, लखनऊ)

- जनपद लखनऊ की समस्त तहसीलों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों लेखपाल, राजस्व निरीक्षक व ग्राम प्रधानों के माध्यम से हीटवेव से सुरक्षा एवं बचाव हेतु पोस्टर, पैम्पलेट व बुकलेट को जनसामान्य के मध्य वितरित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी तहसील परिसर में कराया जाये। साथ ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली चेतावनियों को आम नागरिकों के मध्य प्रचार-प्रसार कराया जाये। हीटवेव से किसी भी मानव अथवा पशु की हानि न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

  (कार्यवाही-समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ)

- भीषण गर्मी के दौरान सूखे कचरे, सूखी शाखाओं, पत्तों, कागज इत्यादि से आग लगने की घटनाओं का त्वरित संज्ञान लेकर घटनास्थल पर दमकल वाहन के माध्यम से अग्निकांड की घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आग को बुझाया जाये तथा अग्निकांड की घटना को न्यून किये जाने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करायी जायें तथा घटना से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को भी अवगत कराया जाये। नगरीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में विद्युत वहन के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटनायें अधिकतर संज्ञान में आती रहती हैं, ऐसी स्थिति में दमकल कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा जाये, जिससे अग्निकांड की घटनाओं में तत्काल कार्यवाही कराते हुए क्षति को न्यून किया जा सके।

  (कार्यवाही-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ)

- जनपद लखनऊ में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाईयों/कारखानों में कार्यरत आउटडोर श्रमिकों/कामगारों, श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों व ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य की अवधि में आवश्यक संशोधन करते हुए उन्हें भीषण गर्मी के दौरान कार्य न कराये जाने के निर्देश निर्गत किये जायें तथा उनके लिये कार्यस्थल पर पेयजल एवं छाया की व्यवस्था करायी जाये। मजदूरों एवं श्रमिकों को प्रातः जल्दी एवं सांयकाल में देर तक कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाये। भीषण गर्मी के दौरान कार्यस्थल पर ओ0आर0एस0 की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

  (कार्यवाही-उप निदेशक, कारखाना/उप श्रमायुक्त श्रम विभाग/उपायुक्त मनरेगा, लखनऊ)

- गर्मी के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। ऐसे स्थान जहां पर हैण्डपम्प व बोरिंग इत्यादि नहीं हैं, उन जगहों पर पेयजल के टैंकरों की व्यवस्था करायी जाये, जिससे उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े।

  (कार्यवाही-नगर निगम, लखनऊ/महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ)

- पशुधन को भीषण गर्मी से राहत प्रदान किये जाने हेतु आश्रय स्थलों, छाया, पेयजल एवं चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाने हेतु अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराया जाये। समस्त पशु चिकित्सालयों में पशु हानि को न्यून किये जाने हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

  (कार्यवाही-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ)

- जनपद लखनऊ में स्थित समस्त डिग्री कालेजों, इण्टर कालेजों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। गर्मी को ध्यान में रखते हुए डिग्री कालेजों, इण्टर कालेजों, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की समयावधि में परिवर्तन कराया जाये तथा भीषण गर्मी के दौरान विद्यार्थियों को फील्ड विज़िट एवं स्पोर्ट्स एक्टिविटी को न करने हेतु निर्देश जारी किये जायें। साथ ही समस्त डिग्री एवं इण्टर कालेजों में हीटवेव से बचाव सम्बन्धी प्रचार-प्रसार कराते हुए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कराये जायें। इसके अतिरिक्त हीटवेव से बचाव हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ से समन्वय स्थापित करके प्रशिक्षण कार्यकम भी आयोजित कराये जायें। समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु एवं उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के विषय पर पोस्टर प्रतियोगित भी आयोजित करायी जाये। साथ ही जनपद लखनऊ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में ओ0आर0एस0 की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। आशा बहुओं के माध्यम से हीटवेव के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार कराया जाये।

  (कार्यवाही-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/ जिला कार्यक्रम अधिकरी(आई0सी0डी0एस0), लखनऊ)

- जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी के दौरान होने वाली अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करायी जाये। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में रखे गये समस्त पशु-पक्षियों हेतु भोजन, पानी एवं छाया की समुचित व्यवस्था की जाये। प्राणियों हेतु ठन्डी हवा का प्रबन्ध कराते हुए पंखे, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करायी जाये। तथा आने वाले पर्यटकों हेतु भी पेयजल एवं छाया की उचित व्यवस्था करायी जाये।

  (कार्यवाही-प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग/प्रबन्धक, नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ)

- ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश घरों, इमारतों, कारखानों, फैक्ट्रियों में चलने वाले भारी उपकरणों से शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली अग्निकांड की घटना को न्यून किये जाने हेतु विद्युत खम्भों एवं तारों का समय-समय पर निरीक्षण कराया जाये। क्षतिग्रस्त खम्भों एवं तारों को तत्काल बदला जाये। भीषण गर्मी के दौरान अनावश्यक रूप से विद्युत कटौती न की जाये।

  (अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, गोमती नगर/बंगला बाजार, लखनऊ)

D:\HEAR 2025\Heat Wave 2025\Letter - Heat Wave 2025.Docx

- जनपद लखनऊ स्थित समस्त बस स्टेशनों पर आने–जाने वाले यात्रियों हेतु छाया, पेयजल एवं पंखे/कूलर इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर बस स्टेशनों पर ओ0आर0एस0 की भी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ)

- उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा द्वारा अपने अधीन कार्यरत समस्त स्वयंसेवकों के माध्यम से हीटवेव से बचाव एवं राहत हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये तथा जन सामान्य को हीटवेव से होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक कराया जाये। गर्मी के दौरान स्वयं सेवकों के माध्यम से निःशुल्क प्याऊ संचालित कराये जायें। गर्मी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक किये जाने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियानों में अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से सहभागिता एवं सहयोग प्रदान किया जाये।

(कार्यवाही–उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ)

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में हीटवेव से बचाव एवं राहत प्रदान किये जाने हेतु तथा हीटवेव के कारण किसी भी प्रकार की क्षति को न्यून किये जाने हेतु उपरोक्त कार्यवाहियों को ससमय सुनिश्चित कराते हुए आपके विभाग/कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या/कार्ययोजना मय फोटोग्राफ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ की ईमेल आई0डी0 ddmalucknow@gmail.com एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ के व्हाट्स ऐप नम्बर–9415002525 पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें ताकि हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार की जा सके। किसी भी जानकारी अथवा सूचना का प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ (मो0नं0–9415002525) एवं कार्यालय के दूरभाष संख्या– 0522–2615195 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(विशाख जी.)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- क्षेत्रीय रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद लखनऊ के समस्त रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, छाया, प्राथमिक उपचार एवं ओ0आर0एस0 की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, अमौसी शाखा, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की उपरोक्त ईमेल आई0डी0 एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ के व्हाट्स ऐप नम्बर पर मौसम सम्बन्धी अलर्ट को साझा किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- श्री अमर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त अधिकारीगणों से समन्वय स्थापित कर ससमय हीटवेव कार्ययोजना–2025 तैयार करते हुए उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

D:\YEAR 2025\Heat Wave 2025\Letter - Heat Wave 2025 Docx

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक : 117 /ओ०एस०डी०/~~2015~~ 2025

दिनांक : 17/03/2025

सेवा में,

1–नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2–मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
3–अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व), लखनऊ।
4–प्रभारी अधिकारी(आपदा), कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5–मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
7–जिला मलेरिया अधिकारी, लखनऊ
8–नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
9–जिला पंचायत राज अधिकारी, लखनऊ।
10–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ।
11–समस्त एम०ओ०आई०सी० एवं सी०एम०एस०, लखनऊ।
12–समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत लखनऊ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आगामी गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले संकामक/संचारी रोगों की रोकथाम आदि के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक **दिनॉक 21.03.2025 को समय सायंकाल 04.00 बजे, स्थान–डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में प्रस्तावित है।**

अतएव, अपेक्षित है कि गर्मी के दौरान प्रभावी संकामक एवं संचारी रोगों की रोकथाम के दृष्टिगत नियत बैठक दिनॉक 21.03.2025 को समय सायंकाल 04.00 बजे, स्थान–डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ में सुसंगत अभिलेखों सहित समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

17.03.25

(रजनीश कुमार मौर्य)
विशेष कार्याधिकारी,
जिलाधिकारी, लखनऊ।

KOF
18/03/25

(अमर सिंह)
जिला आपदा विशेषज्ञ
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
कलेक्ट्रेट, लखनऊ

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पत्रांकः 627 /ए0सी0आर0ए0/आपदा/2024–25 दिनांकः 28 मार्च, 2025

विषय– हीटवेव के संम्बन्ध में भेजे गये प्रारूप में सूचना गूगल शीट पर फीड किये जाने विषयक।

1– समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
2– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उ0प्र0, शासन, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या 8099/रा0आ0का/2024–25 दिनांक 28, मार्च 2025 का अवलोकन करें,(छायाप्रति संलग्न) जिसके माध्यम से वर्तमान में चल रही ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जनपद लखनऊ के आम जनमानस को हीटवेव (लू) से राहत प्रदान किये जाने हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पानी के टैंकर्स, प्याऊ एवं छायादार शेड एवं जियो लोकेशन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपनी–अपनी तहसील/नगर पंचायत के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पानी के टैंकर्स, प्याऊ एवं छायादार शेड एवं जियो लोकेशन के सम्बन्ध में सूचना संलग्न प्रारूप Format-1, 1A, 2(Potable Water) एवं Format-3(Special Shades) पर तैयार कराकर इस कार्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

- जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पत्रांकः 06 /ए0सी0आर0ए0/आपदा/2025-26 दिनांकः 05 अप्रैल, 2025

विषयः ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पेयजल संकट के प्रबंधन हेतु टैंकर्स के माध्यम से आपातकालीन पेय जलापूर्ति कराए जाने वाले गांव/शहर मोहल्ला का चिन्हांकन तथा इस हेतु लगाए जाने वाले टैंकर्स में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने विषयक।

1-महाप्रबन्धक जल संस्थान, ऐशबाग लखनऊ।
2-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के पत्र संख्या 8130/रा0आ0का0/2025-26 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत पेयलज संकट के प्रबन्धन हेतु टैंकर्स के माध्यम से आपातकालीन पेय जलापूर्ति कराये जाने वाले गांव/शहरी मोहल्ला का चिन्हांकन तथा इस हेतु लगाए जाने वाले टैंकर्स में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाने के निर्देश दिए गये है। जनपद में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कितने टैंकर किस स्थल पर उपलब्ध है इसकी सूचना प्रारूप पर उपलब्ध करायें।

प्रारूप

क0सं0	विभाग/कार्यालय	टैंकर का कमांक/वाहन का नं0	पानी के टैंकर की क्षमता	जी0पी0एस0 ट्रैकर की उपलब्धता (हां/न)
1	2	3	4	5

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में सूचना अतिशीघ्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ की ई मेल आई0डी0-ddmalucknow@gmail.com एवं श्री अमर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ के व्हाट्सएप्प मो0 नं0-9415002525 पर प्रेषित करें, ताकि राहत आयुक्त महोदय के कार्यालय को ससमय प्रेषित की जा सके।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

- जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में उक्त प्रारूप पर सूचना प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वि0 एवं रा0)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

2025.Docx

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पत्रांकः 08 /ए0सी0आर0ए0/आपदा/2025-26 दिनांकः 07 अप्रैल, 2025

विषयः-ग्रीष्मकालीन अग्नि दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं उनसे निपटने की प्रभावी व्यवस्था के सम्बन्ध में।

1-समस्त उप जिलाधिकारी, लखनऊ।
2-मुख्य अनिशमन अधिकारी, लखनऊ।
3-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ।
4-उप श्रमायुक्त, श्रम विभाग, लखनऊ।
5-उप निदेशक, कारखाना, लखनऊ।
6-महा प्रबन्धक, जल संस्थान, ऐशबाग, लखनऊ।
7-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
8-उपायुक्त मनरेगा, लखनऊ।
9-प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ।
10-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
11-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
12-जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
13-जिला कार्यक्रम अधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), लखनऊ।
14-जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ।
15-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
16-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ।
17-प्रभारी अधिकारी/प्रबन्धक,नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ।
18-अधिशासी अभियंता, विद्युत, गोमती नगर/बंगला बाजार, लखनऊ।
19-उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ।
20-सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, लखनऊ।
21-अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 597/ए0सी0आर0ए0/आपदा/2024-25 दिनांक 05 फरवरी, 2025 (छायाप्रति संलग्न) को जिलाधिकारी लखनऊ महोदय द्वारा आप लोगों को जनपद लखनऊ का हीटवेव एक्शन प्लान 2025 एवं हीटवेव से बचाव हेतु समस्त विभागों की भूमिका एवं दायित्यों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तद्दिनांक तक आप द्वारा जनपद लखनऊ का हीट वेव एक्शन प्लान 2025 तैयार किये जाने की अनुपालन आख्या जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट लखनऊ को अब तक प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः दिनांक 05.04.2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि 03 दिवस के भीतर समस्त विभाग हीट वेव से बचाव हेतु अपने-अपने विभाग की अनुपालन आख्या जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट लखनऊ की ई मेल आई0डी0-ddmalucknow@gmail.comएवं आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ के व्हाट्सएप्प मो0 नं0-9415002525 पर हार्ड व साफ्ट कॉपी प्रेषित करें, ताकि राहत आयुक्त कार्यालय एवं उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को जनपद लखनऊ का हीट वेव एक्शन प्लान 2025 ससमय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रतिलिपिः-

- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि नगर निगम विभाग की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि विकास विभाग की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- अपर आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवास विकास परिषद की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि चिकित्सा विभाग की अनुपालन आख्या ससमय प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

D:\YEAR 2025\Heat Wave 2025\Letter Heat Wave 2025 Docx

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

पत्रांकः 57/ए0सी0आर0ए0/आपदा/2025-26 दिनांकः 30 अप्रैल, 2025

विषय– सूखा/हीट वेव के दृष्टिगत टैंकर्स, प्याऊ, छायादार स्थानों की फीडिंग राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट **rahat.up.nic.in** पर मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में आहूत ऑनलाइन प्रशिक्षण विषयक।

1– महाप्रबन्धक जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ।
2– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखनऊ।
3– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ।

कृपया उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 शासन लखनऊ महोदय के पत्र संख्या 8130/रा0आ0का0/2025–26 दिनांक 03.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायप्रति संलग्न) जिसके बिन्दु संख्या–3 में हीटवेव के प्रकोप से आम जनमानस को राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–03 में उल्लेख किया गया है कि टैंकर से पेयजल आपूर्ति हेतु आपदा मोचक निधि से धनराशि इस शर्त के साथ सम्बन्धित जनपद को दी जायेगी कि वह सभी चलने वाले टैंकर्स में जी0पी0एस0 डिवाइस लगवायेंगे तथा सभी टैंकर्स का पहले से रूट निर्धारित करेंगे। जी0पी0एस0 डिवाइस के माध्यम से यह ऑनलाइन ट्रैक किया जायेगा कि प्रत्येक टैंकर द्वारा कितने चक्कर लगाये गये तथा पोर्टल पर जी0पी0एस0 डिवाइस के माध्यम से दर्ज चक्करों के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा। साथ ही राहत आयुक्त महोदय के पत्र संख्या 8214/रा0आ0का0/2025–26, दिनांक 29.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर वेब के माध्यम से तथ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फीड कराये जाने हेतु जनपदों के आपदा लिपिक, आपदा विशेषज्ञ, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी ऑपरेटर, खण्ड विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी ऑपरेटर का प्रशिक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चलाये जा रहे पेयजल टैंकर्स के अतिरिक्त यदि और अधिक टैंकर्स चलाये जाते हैं तो उन टैंकर्स पर जी0पी0एस0 सिस्टम स्थापित कराकर तथा टैंकर्स के प्रत्येक चक्कर के आधार पर कुल लगाये गये चक्करों के बीजक सत्यापित करते हुए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में उपलब्ध करायें, ताकि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उक्त बीजकों के भुगतान हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। साथ ही दिनांक 01.05.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण का लिंक व्हाट्स ऐप ग्रुप में साझा कर दिया गया है। लिंक एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री अमर सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ (मो0नं0–9415002525) से समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय को सादर सूचनार्थ।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यवाही एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ससमय प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ महोदय को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त कार्यवाही एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ससमय प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

4.1 हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों का प्रबन्धनः–

विभिन्न हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचारः–

हीट सम्बन्ध रोग (हीट डिसऑर्डर) से पीड़ित होने पर पीड़ित के शरीर पर सन बर्न, त्वचा में लालिमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए साबुन का उपयोग करते हुए पीड़ित को शावर आदि में स्नान कराना चाहिए ताकि तेल से बन्द रन्ध्र खुल जायें और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते हैं तो सूखे विसंक्रमित ड्रेसिंग का उपयोग करें तथा चिकित्सकीय सलाह लें। हीट क्रैम्पस उदरीय मांस–पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफ, देह ऐंठन (स्पाज्म), ज्यादा पसीना आने पर पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जायें। क्रैम्पिंग मांस–पेशियों पर दबाव डालें तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें। पानी की बूंद–बूंद पिलायें। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दें। हीट एक्जाशन, अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा ठण्डी, पीली तथा चिपचिपी होना, सरदर्द होने, बेहोशी, उल्टी होने पर मरीज को ठण्डे स्थान पर लिटायें। वस्त्रों को ढीला करें तथा ठण्डे कपड़े का उपयोग करें। मरीज को पंखा करें अथवा वातानुकूलित स्थान पर ले जायें। पानी की बूंद–बूंद करके पिलायें। यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 नम्बर की एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय में भर्ती करायें। हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक) उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फारेनहाईट या उससे अधिक) गर्म शुष्क त्वचा, तेज जोरदार नाड़ी (पल्स), बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बन्द हो जाये। हीट स्ट्रोक गम्भीर स्थिति है। 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेंस को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राणघातक साबित हो सकता है। मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीले पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

हीटवेव से प्रभावित व्यक्तियों की पहचानः—

हीटवेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है। हीटवेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पूर्व के अनुभवों से यह भी स्पष्ट होता है कि गलत रिपोर्टिंग को सत्यापित किया जाये, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैंः—

- विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाये।
- रोग सम्बन्धी घटनाओं (डिजीज़ इन्सीडेन्स), पंचानामा तथा दूसरे गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
- कारणों सहित पोस्टमार्टम, चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

4.2 हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों की रोकथामः—

- हीटवेव का सर्विलान्स।
- आर0आर0 टीम को भेजना।
- हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील (ससेप्टिबल) जन समुदाय की विशिष्ट देखभाल।
- कार्य/व्यवसाय सम्बन्धित समर्थन एवं परामर्श।
- मीडिया अभियान तथा आई0ई0सी0 क्रिया—कलाप।
- प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय में जागरूकता लाने हेतु वृहद स्तर पर आई0ई0सी0 अभियान चलाना।
- ओ0पी0डी0 में हीटवेव से बचाव हेतु ओ0आर0एस0 का घोल देना।
- हीट स्ट्रोक से बचाव हेतु जनता को जागरूक किया जाये।

4.3 हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचारः—

हीटवेव रोगों के लक्षण — गर्मी से सम्बन्धित बीमारियों में शरीर में पानी की कमी (Dehydration) या गर्मी से ऐंठन (Cramp), गर्मी से थकान, उष्णता से आघात होना (Heat Stroke) व मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में मरोड़ व जो बीमारियां पहले से ही हैं, उनका ज्यादा बिगड़ जाना शामिल है। बहुत अधिक पसीना आना (ठंडी गीली त्वचा) त्वचा में पीलापन, तेज व कमजोर नब्ज़ चलना, हल्की व तेज सांस आना, थकान होना व चक्कर आना, सिर दर्द, जी मिचलाना या उल्टी होना, बेहोशी।

प्रथमोपचार—

- जो भी आप कर रहे हों वह बंद कर दें और ठंडी जगह पर लेट जायें। टांगे थोड़ी ऊँची कर लें।
- पानी या पतला किया हुआ फलों का रस (4 हिस्से पानी में 1 हिस्सा रस) पिएं।
- ठंडे पानी के फव्वारे से या टब में नहायें।
- मरोड़ को कम करने के लिए अपने हाथ—पैरों की मालिश करें व ठंडे पैक लगायें।
- ऐंठन बन्द हो जाने के बाद बहुत अधिक शक्ति लगने वाली गतिविधि को कुछ घंटों तक न करें (थकान से उष्णता सम्बन्धी आघात हो सकता है)
- यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर की सलाह लें।

Uttar Pradesh State Heat Action Plan

लू-तापघात के लक्षण

अधिक गर्मी एवं लू के कारण होने वाली बीमारियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं. हीट इग्जॉस्चन एवं हीट स्ट्रोक

हीट इग्जॉस्चन के लक्षण	हीट स्ट्रोक लक्षण
अत्यधिक प्यास	शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (> 104°F)
शरीर का तापमान बढ़ा हुआ (100.4°F से < 104°F)	पसीना आना बंद होना/पसीने की ग्रंथि का निष्क्रिय होना
मासपेशियो में ऐंठन	मांसपेशियों में ऐंठन, चिपचिपी त्वचा
जी मिचलाना/उलटी होना	त्वचा एवं शरीर का लाल होना
सिर का भारीपन/सिरदर्द	जी मचलाना/उल्टी होना, चक्कर आना
रक्त चाप का कम होना	सिर का भारीपन/सिरदर्द, चक्कर आना
चक्कर आना	भ्रांति/उलझन में होना
भ्रांति/उलझन में होना	अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना
अल्पमूत्रता/पेशाब का कम आना	मानसिक असंतुलन
अधिक पसीना एवं चिपचिपी त्वचा	साँस की समस्या, श्वसन प्रक्रिया तथा धड़कन तेज होना

प्राथमिक उपचार

- व्यक्ति को तुरत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये.
- कपड़ो को ढीला करें.
- शरीर को गीले कपड़े से स्पंज करे.
- ओ आर एस का घोल पिलाये.
- निम्बू का पानी नमक के साथ पिलाये.
- मांसपेशियों पर दबाव डालें तथा हल्की मालिश करें.
- शरीर के तापमान को बार बार जाँचे.
- यदि कुछ समय में सामान्य न हो तो तुरंत चिकित्सा केंद्र ले जाये.

उपचार

- मरीज को तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जायें कपड़ो को ढीला करें.
- तुरंत पंखे के नीचे तथा छायादार ठन्डे स्थान पर ले जाये, शरीर को गीले कपडे से स्पंज करे.
- अगर मरीज कुछ पीने की अवस्था में हो तो पानी या शीतल पेय पिलायें .
- ओ आर एस का घोल पिलायें.
- निम्बू का पानी नमक के साथ पिलायें.
- मांसपेशियों पर दबाव डाले तथा हल्की मालिश करे.

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

4.4 विभिन्न हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमोपचारः—

हीट सम्बन्धी रोग (हीट डिसऑर्डर)	लक्षण	प्रथमोपचार
सनबर्न	त्वचा में लालीमा तथा दर्द, सूजन, फफोले, बुखार तथा सरदर्द	साबुन का प्रयोग करते हुए शावर आदि मे स्नान करना ताकि तेल से बन्द रोम छिद्र खुल जाये और शरीर प्राकृतिक रूप से शीतल हो सके। यदि फफोले पाये जाते है तो सूखे विसंक्रमित ड्रेसिंग का उपयोग करे तथा चिकित्सकीय सलाह ले।
हीट कैम्पस	उदरीय मांस पेशियों तथा हाथ, पैर की तकलीफदेह ऐंठन (स्पाज्म) ज्यादा पसीना आना।	पीड़ित व्यक्ति को ठण्डे तथा छायादार स्थान पर ले जाये। कैम्पिंग मांस पेशियो पर दबाव डाले तथा ऐंठन से आराम हेतु हल्की मालिश करें पानी की बूंद—बूंद पिलाये। यदि जी मचले तो पानी देना बन्द कर दे।
हीट एक्जाशन	अत्यधिक पसीना आना, कमजोरी, त्वचा पीली ठंडी तथा चिप—चिपी, सरदर्द सामान्य तापमान संभव, बेहोशी, उल्टी।	ठण्डे स्थान पर मरीज को लेटाये। वस्त्र को ढीला करे। ठण्डे कपड़े का उपयोग करे, मरीज को पंखा करे या वातानुकूलित स्थान पर ले जाये। पानी की बूंद—बूंद करके पिलाये यदि जी मचले तो इसे देना बन्द कर दें। यदि उल्टी होती है तो 108 या 102 नम्बर की एम्बुलेन्स द्वारा चिकित्सालय में भर्ती कराये।
हीट स्ट्रोक (सन स्ट्रोक)	उच्च शारीरिक तापमान (106 डिग्री फा0 या अधिक) गर्म शुष्क त्वचा तेज जोरदार नाड़ी (पल्स) बेहोशी आना तथा मरीज को पसीना आना बंद हो जाये।	हीट स्ट्रोक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति में 108 तथा 102 नम्बर पर एम्बुलेन्स को चिकित्सा सेवा हेतु तत्काल कॉल करना चाहिए, या मरीज को तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। विलम्ब प्राण घातक साबित हो सकता हैं मरीज को तत्काल ठण्डे वातावरण में ले जाना चाहिए या बर्फीलें पानी की स्पंजिंग करते रहना चाहिए।

Uttar Pradesh State Heat Action Plan

लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.

ठंडक प्रदान करने वाले
पेय पदार्थ पियें

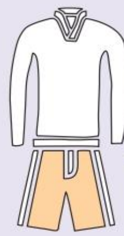

सफेद या हल्के रंग के
कपड़े पहनें

अधिक गर्मी में घर से
बाहर न निकलें

छाया में बैठकर विश्राम करें

बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती
महिलाओं का विशेष ध्यान रखें

घर की छत पर
चूने/सफेद रंग का पेन्ट करें

सिर पर गीला कपड़ा तथा
शरीर को कपड़े से ढककर
बाहर निकलें

प्यास की इच्छा न होने पर भी
बार-बार पानी पियें

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

4.5 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ों का संग्रहणः—

जनपद लखनऊ की हीटवेव (लू) प्रबन्धन योजना में प्रभावित मृतकों की पहचान करना एवं आंकड़ों का संग्रहण सम्बन्धी बिन्दुओं को विशेष महत्व दिया गया है। उक्त बिन्दु का कार्ययोजना में क्रमबद्ध रूप से समावेश किया गया है, जो इस प्रकार हैः—

हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करने तथा आंकड़ों के संग्रहण से सम्बन्धित कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु—

- पूर्व चेतावनी विकसित करना — आई0एम0डी0 द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की भविष्यवाणी को प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें'' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना है।
- हीटवेव से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना एवं उनका त्वरित निराकरण करना।

निरोधात्मक तथा शमनात्मक सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग की भूमिका—

- इस हेतु आई0एम0डी0 के माध्यम से जन—जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा।
- हीटवेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट ऐड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु प्रदान किया जाना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
- भीड़—भाड़ वाली जगहों पर चिकित्सा चौकी स्थापित करना।
- चूंकि हीट सम्बन्धी रूग्णता / रोग परिहार्य / परिवर्तनीय है, इसलिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि ससेप्टिबल / संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाये।
- ओ0आर0एस0 का भण्डारण / संचय।

जलवायु अनुकूलन—

तुलनात्मक रूप से ठंडी जलवायु वाले देश—प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घूमने हेतु बताया जाये, ताकि नये गर्म जलवायु में उनके अन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाये। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाये। नये एवं उष्ण वातावरण में वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे—धीरे हो जाता है।

आंकड़े प्राप्त करना तथा इनका विश्लेषण—

राष्ट्रीय स्तर पर हीटवेव (लू) नोटीफाइड आपदा में शामिल नहीं है, इसलिए हीटवेव से सम्बन्धित रोगी तथा मृतकों की सही सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में स्थिति से निपटने तथा शमनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु यह अति आवश्यक है कि हीटवेव से मरने वाले व्यक्तियों की आयु, वर्ग, लिंग एवं व्यवसाय सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जायें। इसके अतिरिक्त मृत्यु घर में या बाहर हुई एवं आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े एकत्र करना आवश्यक है।

अनुश्रवण एवं कार्यवाही—

- हीटवेव का सर्विलांस।
- आर0आर0 टीम का भेजना।
- हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील (ससेप्टिबल), जन समुदाय की विशिष्ट देखभाल।
- कार्य / व्यवसाय सम्बन्धित समर्थन एवं परामर्श
- जहां कहीं भी उपयुक्त हो प्रथमोपचार के अनुसार आवश्यक उपाय करें।
- मीडिया अभियान तथा आई0ई0सी0 क्रिया—कलाप।
- प्रिंट, इलेक्ट्रानिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय में जागरूकता लाने हेतु वृहद स्तर पर आई0ई0सी0 अभियान चलाना।

<u>दस्तावेज तैयार करना–</u>

दस्तावेज तैयार करने का अभिप्राय आंकड़ों का संग्रह किये जाने से है। आंकड़ों के संग्रह की 02 विधियां प्रचलित हैं:–

1. **<u>प्राथमिक आंकड़े–</u>** प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह निम्न प्रकार किया जा सकता है–

- व्यक्तिगत प्रेक्षण (पर्सनल ऑब्जर्वेशन)
- साक्षात्कार।
- प्रश्नावली अनुसूची।
- अन्य विधियां जो उपयोगी हों।

2. **<u>द्वितीय आंकड़े–</u>** द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह 02 प्रकार से होता है, जो निम्नांकित हैं–

(अ) प्रकाशित स्रोतः

- सरकारी प्रलेख।
- अर्द्धसरकारी प्रलेख।
- अंतराष्ट्रीय प्रलेख।
- निजी प्रकाशन।
- समाचार पत्र।

(ब) अप्रकाशित स्रोतः

- सरकारी प्रलेख।
- अर्द्धसरकारी प्रलेख।
- व्यक्तिगत या गैर सरकारी प्रलेख।
- अन्य प्रलेख जो उपयोगी सिद्ध हो सकते हों।

आंकड़ों का संग्रह–प्रारूप

District	Details Death reporting in 2025										
	Age Group	Urban		Rural		Economic Status		Location of Death		Occupation of the Deceased	Remark
		Male	Female	Male	Female	APL	BPL	Indoor	Outdoor		
Tehsil/Taluka/Block	0-1 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	1-4 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	5-9 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	10-14 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	15-24 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	25-34 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	35-44 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	45-54 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	55-64 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	65-74 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	75-84 Year	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	85+ Years	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
TOTAL		–	–	–	–	–	–	–	–	–	

4.6 हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों के प्रबन्धन के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारीः–

हीटवेव (लू) से सम्बन्धित बीमारियों के प्रबन्धन एवं जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारियों हेतु स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ द्वारा पृथक से हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना–2025 तैयार कर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना–2025 में ''बीमारियों के प्रबन्धन एवं जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी'' के सम्बन्ध में निम्नांकित तैयारियां की गयी हैं।

- प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु के आगमन के साथ ही हीटवेव (लू) का प्रचार–प्रसार प्रारम्भ हो जाता है। जनता के मध्य हीटवेव (लू) से बचाव ''स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार–प्रसार'' किया जायेगा।
- रोगियों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराकर मृतकों की संख्या में तथा रोग की जटिलता में प्रभावी कमी लायी जायेगी।
- उपर्युक्त व्यवस्थाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु जिले से ग्राम स्तर तक समन्वय, प्रभावी सूचना एवं संचार तंत्र सामग्री की आपूर्ति तथा जनजागरण की व्यवहारिक, व्यापक तथा प्रभावी योजना के अनुसार कार्यवाही करके हीटवेव (लू) के प्रभाव पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- हीटवेव (लू) के प्रभाव के पूर्व अनुभवों के आधार पर हीटवेव के प्रभावों को कम करने हेतु निम्न तथ्य प्राप्त किये जा सकते हैं–
    - हीटवेव (लू) एक प्रमुख जन स्वास्थ्य जोखिम है। हाई रिस्क समुदाय वाले स्थानों को चिन्हित किया जाना।
    - जगह–जगह शीतल स्थानों को स्थापित किया जाना।
    - विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा हीटवेव से सम्बन्धित चेतावनी जारी करना।
    - आई0एम0डी0 द्वारा जारी की जाने वाली मौसम की भविष्यवाणी को प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें'' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।
    - हीटवेव (लू) से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना।
    - हीटवेव (लू) से प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना।
- हीटवेव (लू) हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करने के लिए निम्नांकित उपाय किये जा सकते हैंः–
    - ➢ विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाये।
    - ➢ रोग सम्बन्धी घटनाओं (डिजीज़ इन्सीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरे गवाहों या प्रमाणों या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
    - ➢ कारणों सहित पोस्टमार्टम, चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट।
    - ➢ स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।
- निरोधात्मक तथा शमनात्मक उपायों, तैयारी सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग की भूमिका–
    - ▪ इस हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से जनजागरूकता चलाना प्रभावी होगा।
    - ▪ हीटवेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
    - ▪ भीड़–भाड़ वाली जगहों पर स्वास्थ्य चौकी स्थापित करना।

- चूंकि हीटवेव (लू) सम्बन्धी रूग्णता/रोग, परिहार्य एवं परिवर्तनीय है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ससेप्टिबल/संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त निरोधात्मक रणनीति अपनायी जाये।
- ओ0आर0एस0 का भण्डारण एवं संचय।
- तुलनात्मक रूप से ठंडी जलवायु वाले देश/प्रदेश से आने वाले लोगों को कम से कम एक सप्ताह तक घर से बाहर खुले में न घूमने हेतु बताया जाये ताकि नये गर्म जलवायु में उनके अन्दर रहने की योग्यता उत्पन्न हो जाये। साथ ही प्रचुर मात्रा में पानी पीने हेतु बताया जाना चाहिए। नये (ऊष्ण) वातावरण का सामना करने से जलवायु अनुकूलन धीरे–धीरे हो जाता है।
- आंकड़े प्राप्त करना तथा इनका विश्लेषण करना।
- ग्रीष्म ऋतु में हीटवेव (लू) से बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना।
- हीटवेव/हीट स्ट्रोक/लू/संक्रामक रोगों के नियन्त्रण हेतु **''क्या करें, क्या न करें''** का प्रचार–प्रसार पूरे वर्ष तक ग्राम स्तर तक किया जाना प्रस्तावित है।

- स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्मी से होने वाली बीमारियों और विकारों में काम आने वाली दवाईयां व उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- मार्च के महीने में हीटवेव रोगों के शीघ्र निदान और प्रबन्धन के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।
- प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करें'' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।
- हीटवेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेन्ट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
- आशा को ओ0आर0एस0 दिया जायेगा, जो अपने–अपने क्षेत्र में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण करेंगी।

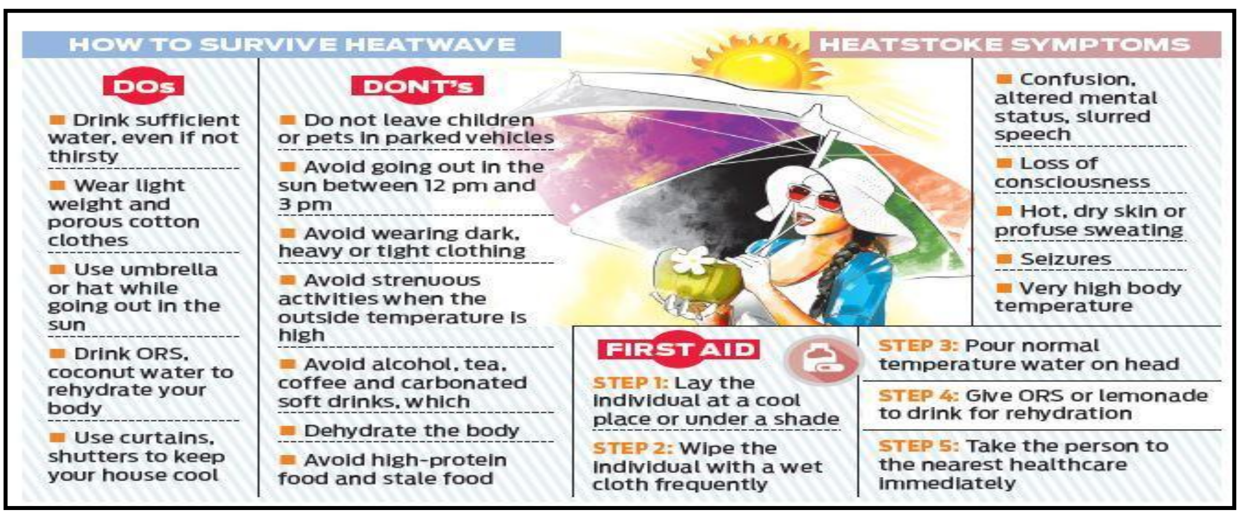

(क्या करें / क्या न करें)

हीटवेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए निम्न तथ्यो पर ध्यान दिया जाना चाहिए :–

क्या करे :–

1. प्रचार माध्यमों पर हीटवेव (लू) की चेतावनी पर ध्यान दें।
2. अधिक से अधिक पानी पियें, प्यास न लगी हो तब भी।
3. गर्म हवा (Heat Wave) की स्थिति जानने के लिए रेडियो सुने, टी0वी0 देखे, समाचार पत्र पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेते रहे।
4. पानी ज्यादा पीयें ताकि शरीर में पानी की कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके।
5. हल्के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने, ताकि शरीर तक हवा पहुॅचे और पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखे।
6. धूप में बाहर जाने से बचे, अगर बहुत जरूरी हो तो धूप के चश्में, छाता, टोपी एवं जूते या चप्पल पहनकर ही घर से निकले।
7. अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो सिर, चेहरा, हाथ–पैरों को गीले कपड़े से ढके रहें तथा छाते का प्रयोग करें।
8. यात्रा करते समय अपने साथ बोतल में पानी जरूर रखे।
9. गर्मी के दिनो में ओ0आर0एस0 का घोल पियें। अन्य घरेलू पेय जैसे नीबू पानी, कच्चे आम का पना, लस्सी आदि का प्रयोग करें, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो।
10. हीट स्ट्रोक, हीट रैश, हीट क्रैम्प के लक्षणों जैसे कमजोरी, चक्कर आना, सरदर्द, उबकाई, पसीना आना, मूर्छा आदि को पहचानें।
11. यदि मूर्छा या बीमारी अनुभव करते हैं तो तुरन्त चिकित्सक की सलाह लें।
12. गर्मी से उत्पन्न होने वाले विकारो, बीमारियो को पहचानें। तकलीफ होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें।
13. जानवरो को छायादार स्थानो में रखें, उन्हे पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी दें।
    अपने घर को ठंडा रखे, घर को ढक कर या पेन्ट लगाकर 3–4 डिग्री तक ठंढा रखा जा सकता है।
14. कार्य स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था रखे।
15. पंखे, गीले कपड़ों का उपयोग करें तथा बारम्बार स्नान करें।
16. दोपहर में सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें।
17. श्रम साध्य कार्यों को ठंडे समय में करने/कराने का प्रयास करें।
18. गर्भस्थ महिला, बच्चों तथा वृद्धजनों पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।

क्या न करें:–

1. बच्चो तथा पालतू जानवरो को खड़ी गाड़ियो में न छोड़े।
2. दोपहर 12.00 बजे से 03 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें।
3. गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े न पहनें।
4. जब बाहर का तापमान अधिक हो तब श्रमसाध्य कार्य न करें।
5. अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचे, रसोई वाले स्थान को ठण्डा करने के लिए दरवाजे तथा खिड़कियॉ खोल दें।
6. शराब, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचे, क्योकि यह शरीर में निर्जलीकरण करता हैं।

Uttar Pradesh State Heat Action Plan
शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें
अत्यधिक गर्मी के दिनों में दोपहर में बाहर निकलने से बचें
चाय, कॉफी, शराब, अधिक मसाले वाले पेय पदार्थ ना पियें
हल्के/सफेद रंग तथा ढीले कपड़े पहनें
अधिक परिश्रम के बीच में आराम भी करें
लू /ऊष्माघात से बचाव के उपाय
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

Uttar Pradesh State Heat Action Plan
उत्तर प्रदेश
हारेगी गर्मी जीतेगा उत्तर प्रदेश
लू/उष्माघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है
REST
अधिक परिश्रम के
मध्य विश्राम अवश्य करें
AVOID
चाय, कॉफी
एवं शराब न पियें
प्यास की इच्छा
न होने पर भी
पानी पीये
Drink More Water
LIMIT
अधिक गर्मी में
व्यायाम न करें
SOAK
शरीर अधिक गर्म
लगने पर स्नान करें
BE COOL
अधिक धूप में बाहर
ना जाये तथा
पंखे के नीचे बैठें
EAT FRESH
ठंडक प्रदान करने
वाले फल खायें
SUN
SUN +
DRESS DOWN
हल्के/सफेद रंग
के तथा ढीले कपड़े पहनें
SEEK SHADE
छाया में बैठें
CHECK ON OTHERS
वृद्धो एवं बच्चो
का विशेष ध्यान रखें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

श्रमिकों को तापघात से बचायें ।

श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कराना हमारी जिम्मेदारी है ।

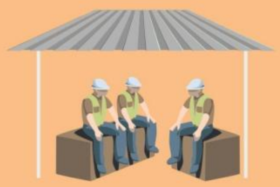

कार्य के बीच-बीच
में विश्राम दें ।

रेड अलर्ट के समय
कार्य का समय बदलें ।

कार्य स्थल पर ठण्डे
पानी की व्यवस्था करें ।

कार्यस्थल पर प्राथमिक
उपचार की व्यवस्था करें ।

अधिक गर्म होने वाले उपकरणों
को ठण्डा करने की व्यवस्था करें ।

श्रमिकों के बच्चों कें
लिए ठण्डे एवं आरामदायक
कमरे की व्यवस्था करें ।

श्रमिकों को तापघात से बचाव के तरीके
समझायें एवं बार-बार पानी पीने के लिये प्रेरित करें ।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ-गांधीनगर

सीखें–

विगत वर्षों में लू के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जनपद लखनऊ की अधिकांश जनता का जीवन यापन अधिक तापमान, वर्षा, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि आदि मौसम की विभीषिकाओं से प्रभावित होता है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद का तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मी से संबन्धित बीमारी तब होती है जब शरीर पर्याप्त रूप से खुद को ठंडा करने में असमर्थ होता है। अत्यधिक लू की घटनाएं हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों में हीट स्ट्रोक से संबन्धित मृत्यु दर और रूग्णता (बीमारी) के जोखिम को बढ़ाती है। उच्च तीव्रता और लंबी अवधि तक चलने वाली हीट वेव का प्रभाव मृत्यु दर पर सबसे अधिक पड़ता है। कम अवधि की हीट वेव की तुलना में लंबी अवधि (04 दिनों से अधिक) वाली हीट वेव का प्रभाव 1.5 से 05 गुना अधिक होता है। स्वास्थ्य पर गर्म मौसम और हीट वेव का प्रभाव गर्मी की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि, संवेदनशील जनसंख्या के आकार और उनकी विशिष्टताएं एवं रोकथाम के उपायों पर निर्भर करती हैं। हीट वेव का स्वस्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक रोका व कम किया जा सकता है।

जनपद स्तर पर लू प्रतिक्रिया के दौरान आई चुनौतियों की समीक्षा करनाः–

- जनपद में लू की तैयारी के दौरान हेतु लू से पूर्व विशेष रूप से मार्च माह में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का आयोजन करना।
- बैठक हेतु लाइन डिपार्टमेंट, स्थानीय शहरी निकाय और ब्लॉक प्रशासन को आमंत्रित करना।
- जिला हीट वेव कार्य योजना के अनुसार लू से संबन्धित प्रारम्भिक चेतावनी, तैयारियों और न्यूनीकरण क्रियाओं की समीक्षा करना।
- लू प्रतिक्रिया के लिये लाइन डिपार्टमेंट, ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय शहरी निकाय फोकल पॉइंट को अपडेट एवं चिंहित करना।
- लू प्रतिक्रिया के लिये राहत सामग्री के स्टॉक की समीक्षा करना एवं राहत सामग्री को स्टोर करना।
- लू प्रतिक्रिया के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जल शक्ति विभाग, पशुपालन विभाग, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय शहरी निकाय, ब्लॉक प्रशासन की तैयारी की समीक्षा करना।
- जिला हीट वेव प्रतिक्रिया योजना की समीक्षा करना एवं उन्हें अपडेट करना।
- जिले में लू की तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट करना और किये जाने वाले कार्यों को चिन्हित करना।

175 वर्षों का बढ़ता हुआ तापमान का क्रम

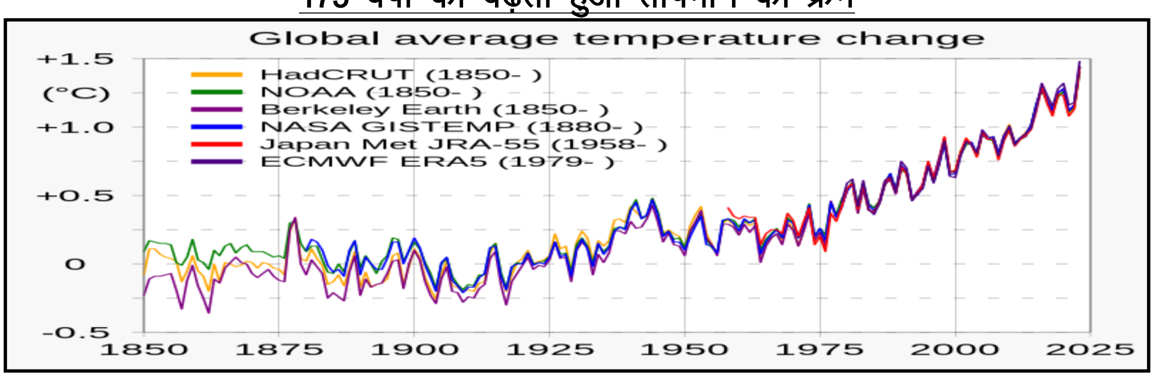

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा वर्ष 2025 में की गयी गतिविधियांः–

उत्तर प्रदेश का एक बहु–आपदा प्रभावित जनपद है, जो भूकम्प के जोन–3 में स्थित है और हिमालय के निचले क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण जपनद की वर्षा, ऑधी–तूफान, वज्रपात और सूखा के प्रति अति–संवेदनशील है जनपद में किसी भी प्रकार की बड़ी नहर न होने के कारण बाढ़ प्रभावित नहीं है।

अप्रत्याशित रूप से घटित होने वाली आपदाओं से निपटने हेतु सहयोगी आपातकालीन विभागों व सभी संबन्धित हितधारकों द्वारा बेहतर पूर्व–तैयारी एवं प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विगत कई वर्षों से जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा न्यूनीकरण उपयों के क्रियान्वयन और पूर्व–तैयारी सम्बन्धी दक्षता बढ़ाने हेतु स्थानीय प्रशासन एवं सहयोगी विभागों के समन्वय में नियमित रूप से पूर्वाभ्यास व माकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। पूर्व तैयारी में सामाजिक–आर्थिक व्यवधानों व पर्यावरणीय ह्रास को कम करके आपदाओं के जोखिम को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे जनपद में जीवन, व्यक्तिगत संपत्तियो, सार्वजनिक संपत्तियों तथा आजीविका की हानि को न्यून किया जा सके तथा सामाजिक समुत्थान सुनिश्चित किया जा सके।

लखनऊ जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा पूर्व–तैयारियों एवं समुदाय की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा विधिवत रूप से मॉकड्रिल का आयोजन किया जाता रहा है। मॉकड्रिल के आयोजन में प्रभावी आपदा प्रबंधन एवं समुचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संबन्धित विभागों एवं हितधारकों का गहनता पूर्ण प्रशिक्षण पर प्रमुखता से जोर दिया जाता है। उपरोक्त मॉकड्रिल प्रशिक्षण में नाजुक समुदायों को आपदाओं के दौरान से निपटने तथा त्वरित निकासी हेतु आवश्यक क्षमतावर्धन करने के साथ सम्बन्धित रिस्पांस एजेंसियों व विभागों के साथ समन्वय करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

लखनऊ जनपद में आपदा जोखिम के न्यूनीकरण हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा उठाये गए कुछ कदमों तथा किये गये कार्यों का विवरण निम्न संलग्नकों में विस्तृत रूप से दिया गया है।

हीट वेव से संबन्धित बीमारियों के प्रबन्धन के लिये अनिवार्य कार्यः–

प्रचार प्रसार हेतु आईईसी सामग्री को गर्मी के मौसम में मुद्रित करने का प्रस्ताव है। आई0ई0सी0 के माध्यम से जन–जागरूकता अभियान चलाना प्रभावकारी होगा।

- प्रचार माध्यमों द्वारा जनता को ''क्या करें, क्या न करे'' के बारे में जानकारी देना तथा अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।
- हीट वेव रोग में प्रभावी निरोधात्मक एवं प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड ट्रीटमेंट) की जानकारी चिकित्सकों द्वारा फार्मासिस्ट हेतु आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।
- आशा को O-R-S दिया गया। अपने–अपने क्षेत्रों में फील्ड विजिट के दौरान घर–घर वितरण किया गया।
- सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्मी से होने वाली बीमारियों और विकार में काम आने वाली दवाईयां व उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिए गए है।

क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखाः–
(Capacity Building & Profile of Training Programme)

मार्च के महीने में हीटवेव रोगों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के बारे में जनपद स्तर पर संबन्धित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के साथ अनेक प्रकार के मॉकड्रिल आयोजित कराये जाते है जिससे हीटवेव एवं अन्य आपदाओं से जोखिम को न्यून किया जा सके, अर्थात समयान्तर्गत प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के साथ अनेक प्रकार के मॉकड्रिल प्रस्तावित किये गये है।

दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपायः–
(Long Term Heat Resilience Measures)

- यदि दिशा–निर्देशों में वृक्षारोपण के बारे में बजट मौजूद होगा तो वन एवं कृषि विभाग के साथ अंतर्क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जाएगा। वृक्षारोपण लंबी अवधि के लिए गर्मी से बचाव का उपाय हो सकता है।
- भवन निर्माण नियमों का पालन करते हुए नई कॉलोनियों को अधिक हवादार बनाया जाए। यदि आवश्यक हो तो आवास मानकों के बारे में सलाह दी जाएगी।

❖ IMPACT OF HEAT WAVE ON LIFE AND LIVELIHOOD

मानव शरीर में थर्मो अल्युगलरी सिस्टम लिमिस है। अत्याधिक गर्मी होने पर हमारी मांस पेशियों का तापमान अधिक बढ़ जाता है तथा कभी कभी तापमान अनियंत्रित हो जाने पर लू अथवा हीट वेव का प्रकोप प्रभावी हो जाता है। कदाचित अत्याधिक लू के दुष्प्रभाव के कारण समय से समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण जन हानि व पशु हानि का होना पाया जाता है।

माह मई एवं जून के दौरान गर्म हवाओं का प्रभाव अत्याधिक हो जाने के कारण आम जन एवं पशु काफी प्रभावित हो जातें है, तथा थोड़ी सी लापरवाही के कारण जन एवं पशु क्षति के रूप में परिलक्षित होती रही है। लू अथवा हीट वेव से बचाव हेतु पूर्व जागरूकता एवं सजगता ही मुख्य साधन है तथा लू अथवा हीट वेव से बचाव हेतु समुचित जानकारी एवं ससमय चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए आम जन एवं पशु क्षति को न्यूनतम किया जा सकता है।

❖ IMPACT OF HEAT WAVE ON AGRICULTURE

ग्रीष्म काल में किसानों द्वारा प्रमुख फसलों की खेती नहीं कि जाती है फिर भी जनपद के कई भू–भागों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की जाती है। सब्जियों को ग्रीष्म लहरों के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु भरपूर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई के समुचित साधन सुलभ हैं वहॉ ग्रीष्मकालीन लहरों का दुष्प्रभाव कम होता है किन्तु दुरूह एवं संसाधन विहीन क्षेत्रों में कृषि फसलों की क्षति होना कदाचित पाया गया है। यद्यपि ग्रीष्म कालीन लहरों के दुष्प्रभाव से कृषि फसलों की भारी क्षति होना संज्ञान में नहीं आया है। हीटवेव का प्रभाव मुख्य रूप से फसलों में रबी एवं जायद की फसलों के साथ ही फूलों लतीय वर्ग की साग–सब्जियों फलों आदि के अतिरिक्त नये वृक्षारोपण पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त जायद के जिन फसलों जैसे खीरा, तरबूज, खरबूज एवं करैला, सोयाबीन, मूँग एवं उर्द में अधिक गर्मी एवं लू सहन करने की क्षमता होती है, ऐसे फसलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

RATIONALE FOR HEAT WAVE ACTION PLAN &

KEY STRATEGIES

- प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना और अन्तर एजेन्सी समन्वय के माध्यम से हीट वेव अथवा लू से आम जन का बचाव किया जा सकता है।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से हीट वेव अथवा लू से बचाव हेतु आम जन को जागरूक किया जा सकता है।
- सार्वजनिक जागरूकता एवं सामुदायिक समन्वय के माध्यम से आम जन को हीट वेव अथवा लू से बचाव किया जा सकता है।
- गैर सरकारी संस्थाओं एवं नागरिक समाज के सहयोग के द्वारा भी हीट वेव अथवा लू से बचाव हेतु आम जन को प्रेरित करते हुए बचाव किया जा सकता है।
- हीट वेव अथवा लू से बचाव के प्रति जनसमुदाय के मध्य पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर के जागरूक किया जा सकता है।
- पब्लिक प्लेस में उचित वनीकरण करा कर भी हीट वेव अथवा लू से बचाव किया जा सकता है।
- गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप) के माध्यम से हीट वेव अथवा लू से बचाव का व्यापक प्रचार–प्रसार कर के जागरूक किया जा सकता है।

FINANCIAL PROVISION FOR HEAT WAVE

HEAT WAVE AND DISASTER MANAGMENT

जनपद लखनऊ में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बचाव एवं राहत हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। साथ ही विभागवार नामित अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किये गये है। किसी भी प्राकृतिक या मानवकृत आपदा के समय गठित समिति की बैठक कर उत्पन्न आपदाओं को नियंत्रित किये जाने के यथा सम्भव उपाय किये जाते हैं। यद्यपि लू अथवा हीट वेव का प्रकोप जनपद में अत्याधिक क्षति कारक होना नहीं पाया गया है फिर भी विभागीय संसाधनों के माध्यम से एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रचार–प्रसार कर राहत व बचाव का कार्य समय–समय पर किया जाता है।

NORMS FOR EX-GRATIA RELIEF UNDER DISTRICT DISASTER RESPONSE FUND TO HEAT WAVE VICTIMS

शासनादेश संख्या–303/1–11–2016–4(जी)/16, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से व्यय के सम्बन्ध में मानक एवं दरों को निर्धारित करते हुए पत्र संख्या–एन0डी0एम0–1, दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या–13 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अन्य आपदाओं के साथ–साथ लू–प्रकोप को भी आपदा घोषित किया गया है।

उक्त राज्य आपदा के सम्बंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–51 के लेखाशीर्षक 2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –05– स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800–अन्य व्यय–06– स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–09–राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय से वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं अनुमन्य राहत की दरें निम्नवत् हैः–

क्रमसं0	**मद**	**सहायता के मानदंड**
क.	**मोचन एवं राहत[राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष(एसडीआरएमएफ) का 40% अर्थात् वर्ष के लिए एसडीआरएफ आवंटन के 50% के बराबर]**	
1	**आनुग्राहिक राहत**	
	क) मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान।	प्रत्येक मृतक के लिए **4.00 लाख रू0** इसमें वे भी शामिल हैं जो राहत अभियानों में शामिल हैं अथवा तैयारी संबंधी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीनहै।

	ख) शरीर के किसी अंग (लिंब) अथवा आंख/आंखों की हानि पर अनुग्रह राशि का भुगतान	प्रति व्यक्ति 74,000/–रू.,जब अपंगता 40% और 60% के बीच हो। प्रति व्यक्ति 2.50 लाख रू., जब अपंगता 60% से अधिक हो। अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबद्ध में सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी के डॉक्टर द्वारा किए गए प्रमाणन के अध्यधीन।
	ग) ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है	प्रति व्यक्ति 16,000/–रू., जब एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। प्रति व्यक्ति 5400/–रू., जब एक सप्ताह से कम अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। **नोटः 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होगें।**

ROLE & RESPONSIBILITES FOR MEN AGING HEAT WAVE

INCEDENT COMMANDER FOR HEAT WAVE

जिस प्रकार शासन/राज्य स्तर पर सचिव एवं राहत आयुक्त हीट वेव अथवा लू से सम्बन्धित दुर्घटनाओं के नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी होते हैं, इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी हीट वेव अथवा लू से सम्बन्धित दुर्घटनाओं के नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी होते हैं।

PHASE WISE RESPONSIBILITIES OF VARIOUS DEPARTMENT/AGENCIES

:–गर्मी पूर्व के मौसम (माह फरवरी से मार्च) में चेतावनी माध्यमों, संगठनों के सहयोग से प्रचार–प्रसार द्वारा हीट वेव से बचाव का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है।

:–ग्रीष्मकाल के मौसम (माह अप्रैल से जून) के दौरान उच्च स्तरीय चेतावनी, हीट वेव अथवा लू के प्रभाव एवं उससे सम्भावित क्षतियों की विभागवार नियमित समीक्षा द्वारा क्षतियों को कम किया जा सकता है।

:–ग्रीष्मकाल के मौसम की समाप्ति (माह जुलाई से अक्टूबर) के दौरान हीट वेव अथवा लू से होने वाली क्षतियों की समीक्षा करते हुए मानसून पर सम्भावित प्रभावों की समीक्षा करते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।

जनपद लखनऊ में लू (हीट वेव) से बचाव/राहत के दृष्टिगत विभाग स्तर पर पूर्व तैयारियां

1–स्वास्थ्य विभाग

- हीट–वेव से बचाव हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करना।
- 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- सभी अस्पतालों/पी.एच.सी/सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केंद्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24X7 क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाये ।

2–शिक्षा विभाग

- विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से लू से बचाव, उपाय, खानपान के विषय में प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाये साथ ही उक्त जानकारी पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाये।
- दोपहर 12 से 3 के बीच के स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया जाये।
- दोपहर के समय आउटडोर एक्टिविटी बंद रखी जाये।
- विद्यालयों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था, ओ.आर.एस., आइस पैक एवं प्राथमिक उपचार का उचित प्रबंध किया जाये।

3–पशुपालन विभाग

- मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीट वेव एक्शन प्लान की तैयारी, कार्यान्वयन और समीक्षा की जाये।
- गर्मी की स्थितियों के दौरान पशु प्रबंधन पर पशुधन के किसानों के बीच जागरूकता लाने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय कर्मचारियों और गौपालों को सक्रिय किया जाये।
- सार्वजनिक स्थानों में लू से बचाव के लिए पशु प्रबंधन पर उपायों को पोस्टर के माध्यम से प्रकाशित कराना।
- मवेशियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करना।
- पशुओं को सुरक्षित रखने हेतु टीकाकरण का कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाये साथ ही पशु केन्द्रों पर आवश्यक दवाओं का भण्डारण सुनिश्चित हो तथा पशु चिकित्सकों के माध्यम से ग्रामीणों को पशुओं की सुरक्षा एवं लू से बचाव हेतु जागरूक किया जाये।

4–परिवहन विभाग

- बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित परिवहन के लिए स्वास्थ्य टीमों की तैयारी एवं पीने के पानी तथा यात्रियों के लिए लू से बचाव की उचित व्यवस्था कराना।
- बस स्टैण्डों पर यात्रियों के लिए छाया एवं पेयजल की व्यवस्था करना।

5–सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

- बल्क मेसेज भेजने के लिए पोर्टल बनाना।
- गर्मी से संबंधित बीमारियों पर जन जागरूकता सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप) के माध्यम से हीट वेव लू से बचाव का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।

6–पंचायती राज विभाग

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने का समय (12:00 से 03:00 बजे) तक प्रतिबंधित करना।
- काम करने के स्थान पर पेयजल और छाया की व्यवस्था कराना।

7–वन विभाग

- पब्लिक प्लेस में उचित वनीकरण कराना सुनिश्चित करें।
- जंगल क्षेत्र में आग से बचने के लिय उचित व्यवस्था करना एवं निरंतर निगरानी बनाये रखना।
- जंगल क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुरक्षित पेयजल की उचित व्यवस्था कराना।
- वन क्षेत्र में जानवरों एवं पक्षियों के लिए तालाब एवं पानी के स्रोतों का उचित प्रबंधन करना।

8–अग्निशमन विभाग

- लू (हीट वेव) के प्रति जनसमुदाय के मध्य प्रचार–प्रसार कर के जागरूक करें।
- लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा मुख्यालय एवं तहसीलों में स्थापित उप केन्द्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24X7 क्रियाशील रखा जाये साथ ही लेखपाल/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर अग्नि से बचाव हेतु नागरिकों को जागरूक करें।

Inter-agency coordination, please list the names of departments role played :-

Sr. No.	Name of Department	Key role played
1	Revenue	To Prepare action plan to provide immediate relief from heat wave, to spread and publicity of do’s and don’ts to prevent heat wave and provide assistance to the people affected by heat wave from the state disaster response fund.
2	Health	To organize public awareness program to prevent heat wave. to make adequate arrangements of ORS and liquids in all hospitals and to store essential medicines.
3	Irrigation	To arrange water in canals, ponds, puddles and activate government tube wells.
4	Fire	To activate all the resources related to fire prevention and organize public awareness programs.
5	Agriculture	To prepare action plan to protect the crop from heat wave, measure to conserve moisture in the soil and arrange seeds and fertilizers for low water crops.
6	Municipal	To make provision of pure drinking water for the residents of the city, to work in relation to repair and rebar of tube wells and hand pumps and to make alternative arrangements for water supply through tankers in case of emergency and arrange shades and water in public places.
7	Supply	To arrange food grains for the weak and poor people.
8	Power	As much as possible availability of electricity for agriculture work.
9	Animal Husbandry	To make cattle owners aware of how to protect cattle from heat wave, to arrange water for animals and to make arrangement for vaccination of animals.
10	Forest	Planting more and more trees in the social place, making proper arrangements for water bodies and water reservoirs for animals and birds.

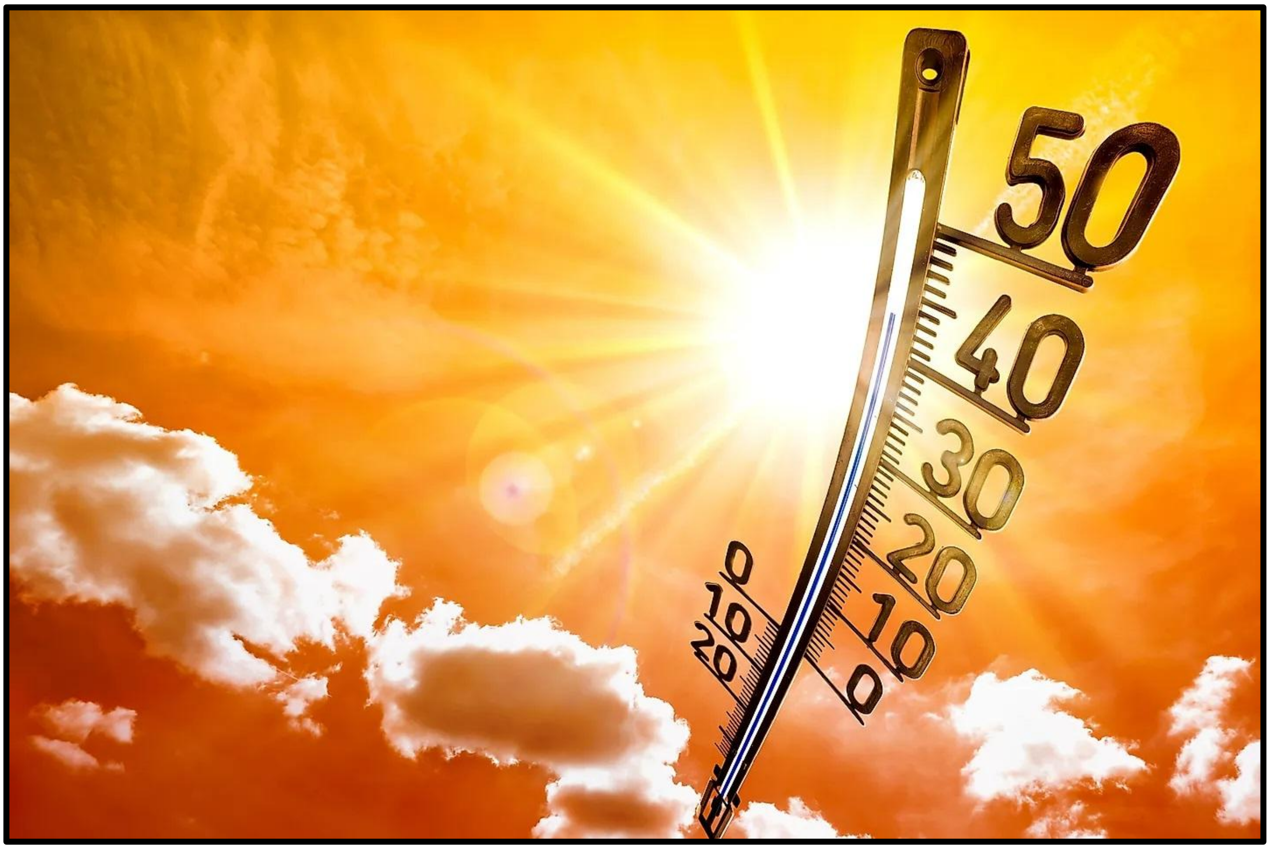
50
40
30
20
10
0
0
10
20

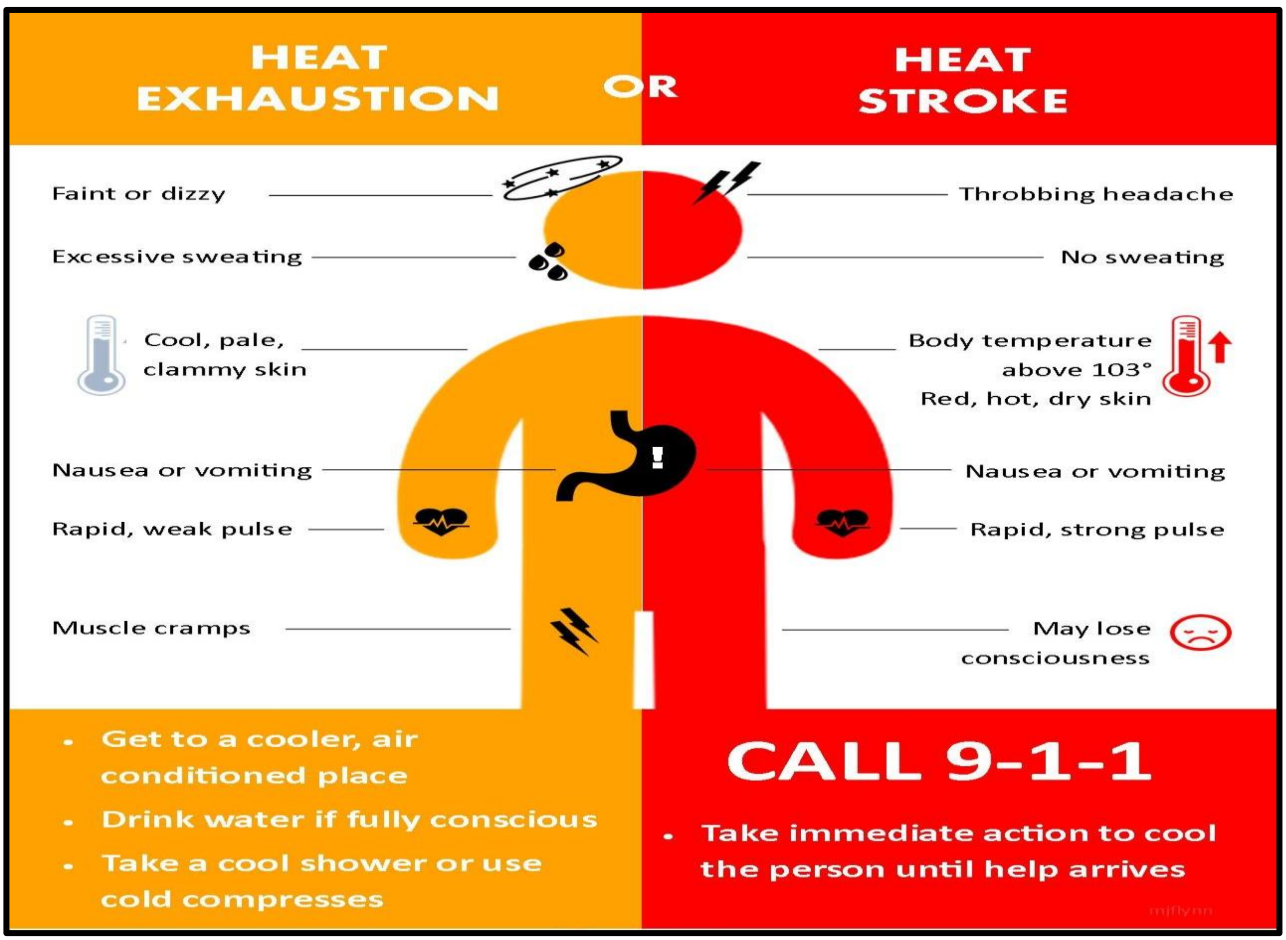
HEAT EXHAUSTION
OR
HEAT STROKE
Faint or dizzy
Excessive sweating
Cool, pale, clammy skin
Nausea or vomiting
Rapid, weak pulse
Muscle cramps
Throbbing headache
No sweating
Body temperature above 103°
Red, hot, dry skin
Nausea or vomiting
Rapid, strong pulse
May lose consciousness
• Get to a cooler, air conditioned place
• Drink water if fully conscious
• Take a cool shower or use cold compresses
CALL 9-1-1
• Take immediate action to cool the person until help arrives

जनपद में लू/हीटवेव के सम्भावित प्रभाव के नियन्त्रण हेतु जनपद स्तर पर की गयी तैयारियाँः–

प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक एवंसमस्त शहरी एवं ग्रामीण प्रभारी चिकित्साधिकारी–

- अपने नियन्त्रणाधीन चिकित्सालयों में ''लू'' से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु वार्ड/बेडों को आरक्षित रखें तथा तत्काल रोगी के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समस्त औषधियॉ चिकित्सालय से उपलब्ध करायी जाए।
- सभी चिकित्सालयों के रोगी पंजीकरण काउण्टर से ''लू (हीट–स्ट्रोक)'' से बचाव हेतु हैण्डबिल ''क्या करें क्या न करें भी'' अवश्य वितरित किया जाए।

रैपिड रिसपान्स टीम– ग्रामीण

- जनपद स्तर पर रैपिड रिसपान्स टीम का गठन कर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगायी गयी है, जो निरन्तर 24 घण्टे क्रियाशील है, जिसका लैण्डलाइन नम्बर 0522–2615195 एवं नोडल अधिकारी का मो0नं0 9415005004 है, से सम्पर्क कर किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत कराया जा सकता है, ताकि तत्काल मौके पर चिकित्सकीय दल (आर0आर0टीम) भेजकर रोग उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जा सके।

पेयजल की व्यवस्था–

- जल निगम/नगर निगम/नगर पालिकाओं के माध्यम से पेयजल की कमी वाले स्थानों पर टैंकर द्वारा एवं प्याऊ स्थापित कर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वासियों को इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प (डीप बोर वेल) के जल का प्रयोग पीने में करने हेतु प्रेरित करें एवं समस्त शैलो हैण्डपम्प्स को चिन्हित करते हुए उसके जल का उपयोग पीने में न करने के लिये निर्देशित करें।
- पानी का नियमित एवं उचित क्लोरिनेशन कराया जाना एवं जल के नमूने में टेल एण्ड तक 0.5 पी0पी0एम0 की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- आपूर्तित पेयजल में क्लोरीन की समुचित जॉच, ओ0टी0 टेस्टिंग नियमित रूप से नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग एवं जल संस्थान के संयुक्त दल के माध्यम से करायी जाए तथा इनका अनुश्रवण भी किया जाए।

सड़े–गले खाद्य पदार्थो, फलों का विनिष्टीकरण–

- जनपद लखनऊ में खाद्य एवं औषधि नियन्त्रण विभाग द्वारा सड़े–गले फलों एवं खुले खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं इनके उपयोग पर प्रतिबन्ध करते हुए इनका विनिष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए।

- बासी भोजन अथवा खुले में बिकने वाले गन्ने/अन्य फलों का रस, कटे फल, खुली तली–भुनी खाद्य वस्तुएं एवं प्लास्टिक के पाउच में बिकने वाले पेय जल एवं खाद्य पदार्थ के प्रयोग को प्रतिबन्धित किया जाए।
- उपरोक्त का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए।
- संक्रमिक खाद्य एवं पेय पदार्थो के प्रयोग न करने हेतु जन–सामान्य में व्यापक जन–जागरण, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किये जाएं।

ग्राम्य–स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति–

ग्राम प्रधान के अधीन गठित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य, ए0एन0एम0 एवं आशा की एक बैठक बुलाकर उन्हें ''लू'' लगने/हीटवेव के लक्षणों के बचाव तथा रोगियों को सम्बन्धित चिकित्सालय भेजने हेतु जागरूक किया जाए।

अनुश्रवण एवं कार्यवाही:–

- हीट वेव का सर्विलॉन्स।
- आर0आर0टीम का भेजना।
- हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील जन समुदाय की विशिष्ट देखभाल
- कार्य/व्यवसाय सम्बन्धित समर्थन एवं परामर्श
- मिडिया अभियान तथा आई0ई0सी0 क्रिया–कलाप
- प्रिंट,इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मिडिया के माध्यम से जन समुदाय में जागरूकता लाने हेतु वृहद स्तर पर आई0ई0सी0 अभियान चलाना।

हीटवेव से प्रभावित मृतकों की पहचान

हीटवेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते है।

- विशेष स्थान तथा समय के अधिकतम तापमान को दर्ज किया जाये।
- रोग सम्बन्धी घटनाओ (डिजीज इन्सीडेन्स), पंचनामा तथा दूसरे गवाहो या प्रमाणो या वर्बल ऑटोप्सी दर्ज करना।
- कारणो सहित पोस्टमार्टम, चिकित्सीय जॉच की रिपोर्ट।
- स्थानीय अधिकारी या स्थानीय निकाय द्वारा पूछताछ/सत्यापन रिपोर्ट।

शीर्घ उपचार ही "लू (हीट–स्ट्रोक)" का बचाव है।

पशुपालन विभाग हीट वेव/लू कार्य योजना

- पशुओं की सुरक्षा हेतु हीट–वेव ऐक्शन प्लान के अनुसार प्रभावी कियान्वयन।
- पशुपालक कृषकों को हीट–वेव की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा हेतु जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्टाफ एवं गौ–पालकों को निर्देशित किया जाना।
- पशुओं हेतु आश्रय स्थलों पर समुचित वेटरिनरी मेडिसीन एवं पीने हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था किया जाना।

लू (हीट–स्ट्रोक) से पशुधन पर पड़ने वाले प्रभाव के न्यूनीकरण के लिए सुझाव/निर्देश :–

जैसा की आप अवगत है कि माह मई/जून में सम्पूण उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं/लू का प्रकोप हो जाता है, जिससे तापमान काफी बढ़ जाता है। इस अवस्था में उचित प्रबन्धन से पशुओं को लू से बचाना अति आवश्यक है। गर्म हवाएं/लू के कुप्रभाव से पशु उत्पादन गिर जाता है, इसके साथ ही उचित देखरेख एवं प्रबंधन न होने से पशुओं को बीमारी से प्रभावित होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। पशुपालन जीविका का साधन है। अतएव पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि लू–प्रकोप से बचाव हेतु जन–जागरूकता व प्रचार–प्रसार तथा राहत सम्बन्धी कार्य करना सुनिश्चित करें।

पशुओं एवं मुर्गियों को गर्म हवा/लू के प्रभाव से बचाने के लिए पशुपालकों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :–

- चरायी हेतु प्रातः एवं सायं काल ही भेजें।
- पशुओं को ऊपर से ढकने हेतु छप्पर, टीन शेड वाले स्थानों में रखे तथा यह विशेष ध्यान रखें कि रोशनदान, दरवाजों एवं खिड़कियों को टाट/बोरे पर पानी का छिड़काव करते रहें।
- पशुओं को छाया में बांधे और उन्हे पर्याप्त मात्रा में पानी/तरल पदार्थ पिलाएं।
- कन्संट्रेट/संतुलित आहार पशुओं को दें तथा खली, दाना, चोकर की मात्रा को बढ़ा दें साथ ही नमक एवं गुड़ का प्रयोग करें।
- धूप में ज्यादा देर तक रखा गर्म पानी पशुओं को न पिलाएं, स्वच्छ ताजा पानी हैण्डपम्प या कुएं से ही पिलाएं, साफ पोखरों का ही पानी पिलाएं।
- पशुबाड़े में गोबर एवं मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें।
- विशेष तौर पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे के बीच सूर्य के ताप से पशुओं को बचायें, उन्हे खुले छायादार स्थान पर खड़ा करें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को रेडियो, टी0वी0 पर सुने और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहें।

- लू से प्रभावित पशु के शरीर में बुखार के लक्षण होते हैं, तत्काल निकटवर्ती पशु चिकित्सक को दिखाएं, उनसे प्राप्त परामर्श का पूर्ण रूपेण पालन करें।
- पशुओं को दिन में एक बार अवश्य नहलायें।
- सक्षम पशुपालक पशुशाला में स्प्रिंक्लर के द्वारा जल का छिड़काव करें एवं पंखों का उपयोग करें, तभी समुचित उत्पादन प्राप्त किया जा सकेगा।
- मुर्गी फार्म में पर्याप्त मात्रा में जल एवं राशन की मात्रा रखें।
- पशु पक्षी लू लगने पर यदि तेज बुखार एवं अन्य लक्षण प्रदर्शित कर रहें हो तो तत्काल जल पिलाएं तथा निकटवर्ती पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।
- घर के बाहर छायादार स्थानों पर कटोरे में पानी भरकर रख दें, जिससे कि अन्य पक्षी भी पानी पी सके।

लू से बचाव
लू के दौरान-
1
कड़ी धूप में अनावश्यक घर से बाहर न जाएं
2
धूप में ढीले और हल्के रंग के सूती कपड़े पहन कर निकलें
3
पौष्टिक आहार खाकर और पेय पदार्थ साथ रख कर ही घर से निकलें
4
गर्मी में हल्का भोजन करें और उसमें कच्ची प्याज, सत्तू व दही ज़रूर शामिल करें
5
पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, आम का पन्ना, फलों के जूस, बेल का शर्बत एवं नारियल के पानी का सेवन करते रहें
6
मौसमी फल जैसे- तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, खीरा एवं संतरा का अधिक से अधिक सेवन करें
7
बच्चों को धूप में पार्क किए वाहन में अकेला न छोड़ें
8
कड़ी धूप में अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से बचें एवं थोड़े-थोड़े अंतराल पर विश्राम लें
9
पशुओं को छाया में बांधे और उन्हें पर्याप्त पीने का पानी दें
लू लगने पर-
1
लू लगे व्यक्ति को छाया/पंखे/कूलर के सामने लिटाएं
2
शरीर का तापमान कम करने के लिए शरीर, गर्दन, सिर एवं पेट पर ठंडे पानी से गीला किया हुआ कपड़ा रखें
3
व्यक्ति को ओ.आर.एस. घोल, छाछ या शर्बत पिलाएं
4
यदि आराम न मिले तो उसे तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाएं
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें!
किसी भी सहायता के लिए निम्न नम्बरों पर सम्पर्क करें
एम्बुलेंस 108 पुलिस 100/112 राहत आयुक्त कार्यालय 1070
राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जनहित में जारी

सावधानी बरतें, लू से बचें

क्या करें, क्या न करें

1. पर्याप्त मात्रा में पानी/तरल पदार्थ जैसे छाछ, नींबू का पानी, आम का पना का उपयोग करें।
2. यात्रा करते समय पानी साथ रखें।
3. निर्जलीकरण से बचने के लिए O.R.S. का प्रयोग करें।
4. संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
5. अधिक प्रोटीन वाले तथा बासी खाद्य पदार्थ खाने से बचें।

1. हल्के रंग के सूती एवं ढ़ीले कपड़े पहने एवं सर को ढ़कें एवं कड़ी धूप से बचें।
2. विशेष तौर पर 12.00 बजे से 3.00 बजे अपराह्न के बीच सूर्य के ताप से बचने हेतु बाहर जाने से बचें एवं कड़ी मेहनत से बचें।
3. स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सुनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें।
4. बच्चों व पालूत जानवरों को कभी भी बंद वाहन में अकेला न छोड़ें।
5. जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें और सूर्य के सम्पर्क से बचें।
6. सूर्य के ताप से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो घर की निचली मंजिल पर ही रहें।
7. जानवरों को छाया में बांधे और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं।

1. लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लिटाकर सूती गीले कपड़ों से पोछें अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से सम्पर्क करें।
2. लू लगने के लक्षणों को पहचानें, यदि कमजोरी लगे, सिर दर्द हो, उल्टी महसूस हो, तेज पसीना और झटका जैसा महसूस हो, चक्कर आए तो तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें।
3. बीमार और गर्भवती महिला कामगारों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
4. आपात् स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

Clinical Presentation and Treatment Protocol Heat Related Illnesses

Heat-Related Illness	Clinical Presentation	Treatment
Heat oedema	• Mild swelling of feet, ankle and hands • It appears in a few days of exposure to the hot environment • Does not progress to pretibial region	• Usually resolves spontaneously within days to 6 weeks • Elevate leg • Compressive stocking • Diuretics are not effective
Prickly Heat	• Pruritic, maculopapular, erythematous rash typically over covered areas of body • Itchiness • Prolonged or repeated heat exposure may lead to chronic dermatitis	• Antihistamine • Wear clean, light, loose-fitting clothing • Avoid sweat generating situations • Chlorhexidine is a light cream or lotion base • Calamine lotion
Heat Cramps	• Painful, involuntary, spasmodic contractions of skeletal muscle (calves, thighs and shoulder) • Occur in individuals sweating profusely and only drinking water or hypotonic solutions • Limited duration • Limited to specific muscle group	• Fluid and salt replacement (IV or oral) • Rest in a relaxed environment
Heat Tetany	• Hyperventilation • Extremity/s and circumoral paresthesia • Carpopedal spasm	• Calm the patient to reduce respiratory rate • Remove from hot environment
Heat syncope	• Postural hypotension • Commonly in non-acclimatized elderly	• Rule out other causes of syncope • Removal from the hot environment • Rest and IV drip
Heat Exhaustion	• Headache, nausea, vomiting • Malaise, dizziness • Muscle cramps • Temperature less than 40°C or normal • May progress to heatstroke if fails to improve with treatment • No CNS involvement	• Remove the patient from the heat stress area • Volume replacement • If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to a core temperature of 39°C
Heatstroke	• Core body temperature greater than 40oC • Signs of CNS dysfunction: Confusion, delirium, ataxia, seizures, coma • Other late findings: anhidrosis, coagulopathy, multiple organ failure	• Remove the patient from the heat stress area • Volume replacement • If there is no response to treatment in 30 minutes, then aggressively cool the patient to the core temperature of 39°C (further details later in document)

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021

Issued in Public Interest by Uttar Pradesh Disaster Management Authority

Technical supported by UNICEF, Uttar Pradesh and Indian Institute of Public Health-Gandhinagar

Management workflow of Suspected Heatstroke victims at PHC level before referral to higher centre

Suspect case of heatstroke

→ Call 108/ Ask for Medical help

↓

Bring victim to safe, cool and shady environment, take vital signs

↓

Provide Oxygen supplementation. Do not give any fluid or food if person is unconscious or has altered sensation

↓

Remove all unnecessary clothing, start tepid sponging

↓

Increase airflow to the person using (mist) fan, spraying of cool water over the body

↓

Apply cold compress/ice packs at the neck, axilla, groin and head

↓

If possible, start IV drip infusion of cold saline

↓

Check vital signs, monitor body core temperature

↓

Refer / Transfer to nearest appropriate hospital, inform the guardians about prognosis

Consider heat illness in differential diagnosis if:

a. Presented with suggestive symptoms and signs	b. Patient has one or more of the following risk factors:
	i. Extremes of age (infants, elderly) ii. Debilitation/physical deconditioning, overweight or obese iii. Lack of acclimatization to environmental heat (recent arrival, early in summer season) iv. Any significant underlying chronic disease, including psychiatric, cardiovascular, neurologic, hematologic, obesity, pulmonary, renal, and respiratory disease v. Taking one or more of the following: 1. Sympathomimetic drugs 2. Anticholinergic drugs 3. Barbiturates 4. Diuretics 5. Alcohol 6. Beta-blockers

Reference: National Action Plan On Heat Related Illnesses, NCDC, MOHFW, 2021 .

Issued in Public Interest by Uttar Pradesh Disaster Management Authority

Technical supported by UNICEF, Uttar Pradesh and Indian Institute of Public Health-Gandhinagar

स्थानीय समाचार पत्रों में लू प्रकोप से बचाव एवं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारियों के सम्बन्ध में खबरों का प्रकाशन

गर्मी के मौसम में सतर्क रहे बुजुर्ग व बच्चे

लखनऊ (एसएनबी)। गर्मी के बढ़ते, तापमान के चलते हीट वेव का खतरा व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार इस वर्ष की गर्मी और भी अधिक तीव्र होने वाली है। एडीएम (एफ़आर) राकेश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन हीट वेव से निपटने के लिए तैयार है आम जनता को जागरूक करने के लिए कार्यशाला व जागरूकता अभियान शुरू कर दिये गये है। जिले में हीट वेव के खतरों के प्रति जन जागरूकता फैलाने और आवश्यक सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे है।

एडीएम एफ़आर राकेश सिंह ने की अपील

अभियान के तहत हीट वेव के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों, जैसे कि अधिक पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना, अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचना, और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों के बारे में जानकारी दी जा रही है। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे इस गर्मी के मौसम में सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हीट वेव के दौरान अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों को अपनाएं।

हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को हीट वेव के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे समय पर आवश्यक कदम उठा सकें। विशेष रूप से वृद्धजन, बच्चे और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग अधिक जोखिम में है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संदेश फैलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।

जिला आपदा विशेषज्ञ अमर सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिला प्रशासन व एनडीआरएफ़ की टीम शहर के 26 स्कूलों में मंगलवार व शुक्रवार को हीटवेव से जुड़ी कार्यशालायें कर रहे है स्कूलों के बच्चों को गर्मी की तपिश सहन करने के उपाय बताये जा रहे है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकास भवन में हीटवेव , अग्निकांड, बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अमर उजाला 25 APR 2025

आज से 8वीं तक के स्कूलों में 12:30 बजे होगी छुट्टी

सुबह 7:30 से संचालित होंगे सभी बोर्ड के स्कूल

गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। राजधानी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक स्कूलों में पढ़ाई का समय बदल गया है। अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ही स्कूलों में पढ़ाई होगी। संबंध में जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बीएसए को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए भी कहा गया है। ये आदेश सभी निजी व सरकारी स्कूलों पर पर लागू होगा।

जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि विद्यार्थियों के हित में कक्षा एक से आठ तक के सभी बोर्डों के सरकारी, परिषदीय, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों का समय परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि बाहर खुले क्षेत्र में विद्यार्थियों से जुड़ी कोई भी गतिविधि न कराई जाए।

गर्मी को देखते हुए शहर के अलग-अलग शिक्षक संगठनों की ओर से समय परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी

समय से विद्यालय खोलने के निर्देश

जिलाधिकारी का आदेश आने के बाद बीएसए राम प्रवेश ने सभी शिक्षकों को समय से विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया है। बीएसए ने कहा कि बच्चों को धूप में जाने की अनुमति न दी जाए। मध्याह्न भोजन में इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

अमृत विचार 22 MAR 2025

गर्मियों में चौराहों पर छाया के लिए लगेंगे ग्रीन नेट

लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी, समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

- तालाबों, पोखरों में कराएं एंटी लार्वा का छिड़काव
- 10 अप्रैल से चलेगा दस्तक अभियान

सरकारी विभाग कोटक महिंद्रा बैंक में न करें बैंकिंग

हिन्दुस्तान 22 MAR 2025

संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा, टास्क फोर्स की बैठक

लखनऊ में हीट वेव और डेंगू से निपटने का आदेश

सतर्कता

संचारी रोगों से बचाव

क्या करें

क्या न करें

नव भारत टाइम्स 22 MAR 202

1 से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा संचारी रोग अभियान

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : संचारी रोगों व संक्रमण से रोकथाम के लिए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए भी उपाय किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम स्मार्ट सिटी के कार्यों की हर 15 दिन में डीएम कार्यालय को रिपोर्ट भी सौंपेंगे।

नगर निगम ने हर वॉर्ड के 116 पॉइंट्स बनाकर शुरू की तैयारी

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाख जी. ने शुक्रवार को गर्मी के मौसम में संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से जोनवार हीटमैप जनरेट किया है। हीटमैप के अनुसार नगर निगम हर जोन में ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव करवाएगा। गांवों में मेडिकल कैंप में लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी करवाया जाएगा। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम के सभी वॉर्डों में हीट वेव की रोकथाम के लिए 116 पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। डीएम ने शहर के बड़े चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर दो पहिया वाहन सवारों के लिए ग्रीन मैट्स और पीने के पानी की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं।

टाइम्स ऑफ इण्डिया 25 APR 2026

City simmers at 41.8°, mercury likely to soar further this week

Ajay Kumar

HOTTEST DAY

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: The city recorded the hottest day of this season so far on Thursday, with maximum temperature touching 41.8 degrees Celsius. The mercury will continue to soar for next few days, with day temperatures to remain around 40 degrees and above.

According to weatherman, the city is likely to get relief from scorching sun Sunday onwards, as a fresh western disturbance is likely to bring one or two spells of rain. Day temperature may fall due to one or two spells of rain on Sunday and Monday, with the weather turning sultry. "Thursday was hottest day of the year so far. April was hottest in 2022, with temperatures reaching 45 degrees in Apr, while last year, also in Apr, the city recorded 42 degrees Celsius," said Mohammad Danish, senior scientist of state meteorological department, adding, on Friday, there will be clear sky, with maximum and minimum temperatures predicted to be around 42 and 23 degrees Celsius, respectively. Meanwhile, weather is most likely dry across state, with a warning of a heatwave very likely at isolated places in UP.

Kanpur was hottest city in the state, recording 44 degrees Celsius maximum temperatures, followed by Agra Taj (43.4), Prayagraj (43.3), Banda, Jhansi (43.3), and Sultanpur (43.1), respectively.

In the wake of soaring mercury, district magistrate Vishak G ordered a change of school timings for class 1 to 8 on Thursday. In all govt and private schools, classes for 1 to 8 will be held from 7.30 am to 12.30 pm from Friday onwards.

हिन्दुस्तान टाइम्स 25 APR 2025

No student activities should be conducted in open areas, the district admn ruled

HEAT TRIGGERS CHANGE IN SCHOOL TIMINGS ACROSS U.P.

HT correspondent

LUCKNOW: The director of basic education, Pratap Singh Baghel, on Wednesday announced revised hours for all council and recognised primary schools across Uttar Pradesh, citing the ongoing heatwave conditions. The schools will now function from 7:30 am to 1:30 pm, while students are required to attend from 7:30 am to 12:30 pm, according to the official order.

Teachers, Shiksha Mitras, instructors, and non-teaching staff are instructed to remain in school till 1:30 pm, continuing with educational and administrative duties. The revised schedule also allocates time for morning prayer and yoga sessions from 7:30 am to 7:40 am, and a lunch break from 10:00 am to 10:15 am.

In a related move, the Lucknow DM issued a separate directive on Thursday adjusting the school hours for students in Classes 1 to 8. The new timings will be 7:30 am to 12:30 pm, effective from Friday and until further orders. The district administration also directed that no student activities should be conducted in open areas due to the extreme weather, which has seen temperatures climb sharply in recent days.

ड्रोन से करें एंटी लार्वा का छिड़काव : डीएम

संचारी रोगों पर नियंत्रण अभियान पहली से चलेगा

हीट वेव से बचाव के लिए जिलाधिकारी ने दिये निर्देश

लखनऊ (एसएनबी)। जिलाधिकारी विशाख जी के जरिये गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले संक्रमण/संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर बैठक बुलायी गयी। स्मार्ट सिटी के माध्यम से नगर निगम के जोनवार हीटमैप जनरेट किया गया है। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया कि हीटमैप के अनुसार प्रत्येक जोन में पड़ने वाले तालाबों, जलाशयों, पोखरों, जल जमाव वाले क्षेत्रों की मैपिंग करते हुए वहां पर ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाये। स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम प्रतिदिन स्मार्ट सिटी को किये गए कार्यों की रिपोर्टिंग करें, जिसकी 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जहां पर विगत वर्षों में ज्यादा केस रिपोर्ट हुए है वहां दिन के समय सोर्स रिडक्शन छिड़काव और शाम के समय एंटी लार्वा छिड़काव व फागिंग कराने हेतु रोस्टरवार ड्यूटी लगाना सुनिश्चित किया जाए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया को फागिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, सोर्स रिडक्शन छिड़काव के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। उक्त कार्य हेतु माइक्रोप्लान बनाते हुए कार्यवाही की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एन.बी.सिंह ने बताया कि 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा। इसके तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुखार, इंफ्लुएंजा लाइक इलनेस (आईएलआई), फाइलेरिया, काला जार, कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों और कुपोषित बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित सम्पूर्ण विवरण ई-कवच पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जनसामान्य को जागरूक किये जाने हेतु जनपद लखनऊ के सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना।

वर्तमान में चल रही भीषण गर्मी से उत्पन्न होने वाली हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा तथा सावधानियों से जनपद लखनऊ के नागरिकों को जागरूक किये जाने हेतु जनपद के कई सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना करायी गयी है। उक्त डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर चलने वाले चलचित्रों की सहायता से जनपद लखनऊ के आम जनमानस को हीटवेव के प्रति सावधान एवं जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

क्र0सं0	स्थापित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का स्थान	फोटोग्राफ
1	शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ।	
2	1090 चौराहा, बटलर कालोनी, लखनऊ।	
3	पॉलीटेक्निक चौराहा, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	
4	द मॉल एवेन्यू, गोमती नगर, लखनऊ।	
5	सी0एम0एस0, हरिहरपुर, लखनऊ।	

6	अर्जुनगंज, अहमामऊ, लखनऊ।	
7	लोहिया पथ, एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ	

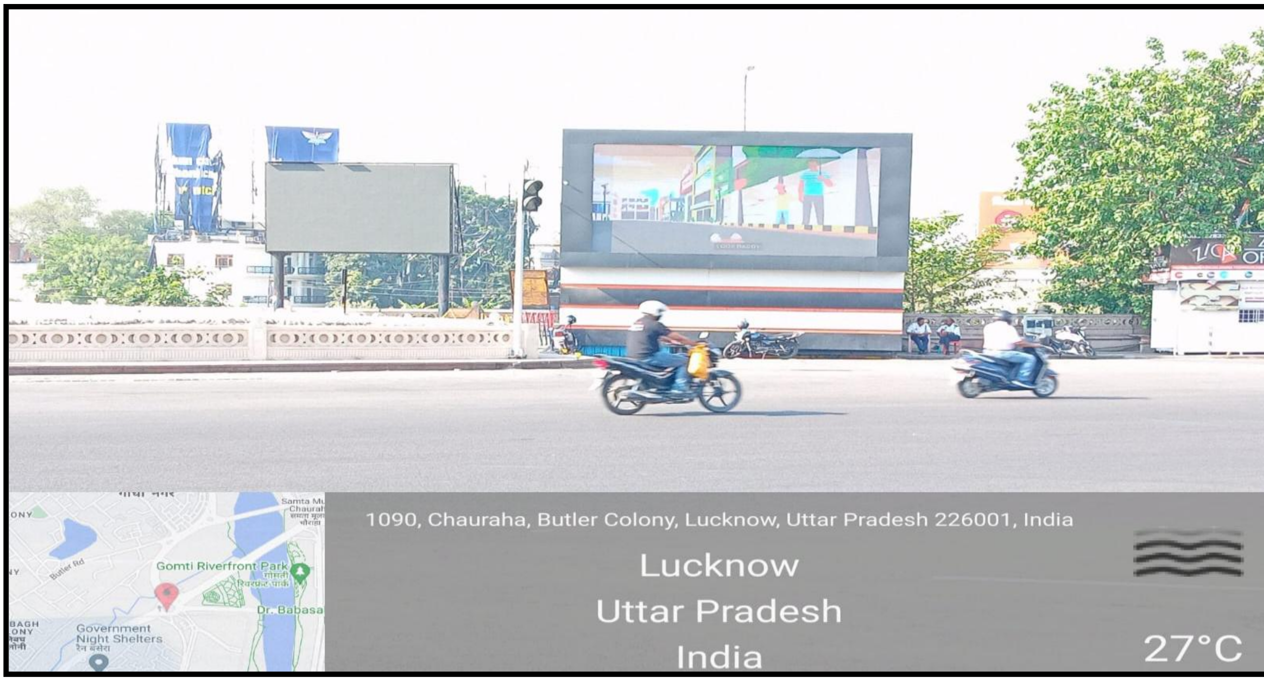

हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर करायी गयी निःशुल्क कूलिंग प्वाइंट की व्यवस्था

जनपद लखनऊ में वर्तमान हो रही भीषण गर्मी से आम जानमानस को राहत प्रदान किये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा जनपद के प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क कूलिंग प्वाइंट की स्थापना की गयी है।

हीटवेव (लू) से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ महोदय द्वारा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक।

हीटवेव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जनपद लखनऊ में वर्तमान में हो रही भीषण गर्मी से उत्पन्न होने वाली सम्भावित हीटवेव (लू) एवं अन्य आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 17 मार्च 2025 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हीट–वेव विषय भी सम्मिलित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद लखनऊ के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ द्वारा हीट–वेव पर प्रकाश डालते हुए उसकी गम्भीरता से अवगत कराया गया तथा हीट–वेव के दौरान क्या करें अथवा क्या न करें के सम्बन्ध में भी अपने–अपने विचार प्रकट किये गये। इसके अतिरिक्त दिनांक 08.03.2025 को कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, इन्दिरा नगर, लखनऊ के सभागार में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं एस0डी0आर0एफ0 द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एस0डी0आर0एफ0 से उपस्थित प्रतिनिधि एवं जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ द्वारा प्रतिभागियों को हीटवेव से होने वाली समस्याओं एवं उनसे निपटने के तरीकों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बताया गया।

इसके अतिरिक्त दिनांक 28.04.2025 को महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आशियाना, लखनऊ में हीटवेव से बचाव एवं सुरक्षा हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एल0डी0आर0एफ0 एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को हीटवेव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, हीटवेव के उत्पन्न होने के कारण, उनसे बचाव एवं सावधानियाँ के सम्बन्ध में उदाहरण एवं प्रदर्शन सहित व्याख्या की गयी।

विकास भवन सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आशियाना, लखनऊ में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

हीटवेव जागरूकता के सम्बन्ध में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद लखनऊ के समस्त प्राथमिक/माध्यमिक, इण्टर/डिग्री कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को हीटवेव के प्रति जागरूक किये जाने हेतु दिनांक 08.04.2025 को जनपद लखनऊ के कई विद्यालयों में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें छात्र–छात्राओं द्वारा बढ़चढ़कर प्रतिभाग किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र–छात्राओं को मनोरंजक एवं रोचक तरीके से हीटवेव के सम्बन्ध में जागरूक करने का प्रयास किया गया।

हीटवेव से बचाव सम्बन्धी रेडियो जिंगल का प्रसारण

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा हीटवेव (लू) से बचाव हेतु जनपद लखनऊ के प्रमुख रेडियो चैनलों पर प्रसारित होने वाले हीटवेव सम्बन्धी जिंगल का फीडबैक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लखनऊ को प्रसारित होने वाले जिंगल की समय सारणी प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय एवं रेडियो चैनल पर प्रसारित होने वाले हीटवेव (लू) सम्बन्धी जिंगल को सुनकर उसकी पुष्टि करते हुए कार्यालय को अवगत कराया जाये। प्रसारित होने वाले हीटवेव (लू) जिंगल की समय सारणी निम्नवत हैः–

Sr.No.	District Name	Station Name	Time Band
1	Lucknow	RED FM	7.00 – 11.00
			11.00 – 18.00
			18.00 – 23.00
2		Radio Mirchi	7.00 – 11.00
			11.00 – 18.00
			18.00 – 23.00
3		Radio City	7.00 – 11.00
			11.00 – 18.00
			18.00 – 23.00
4		BIG FM	7.00 – 11.00
			11.00 – 18.00
			18.00 – 23.00
5		Fever FM	7.00 – 11.00
			11.00 – 18.00
			18.00 – 23.00

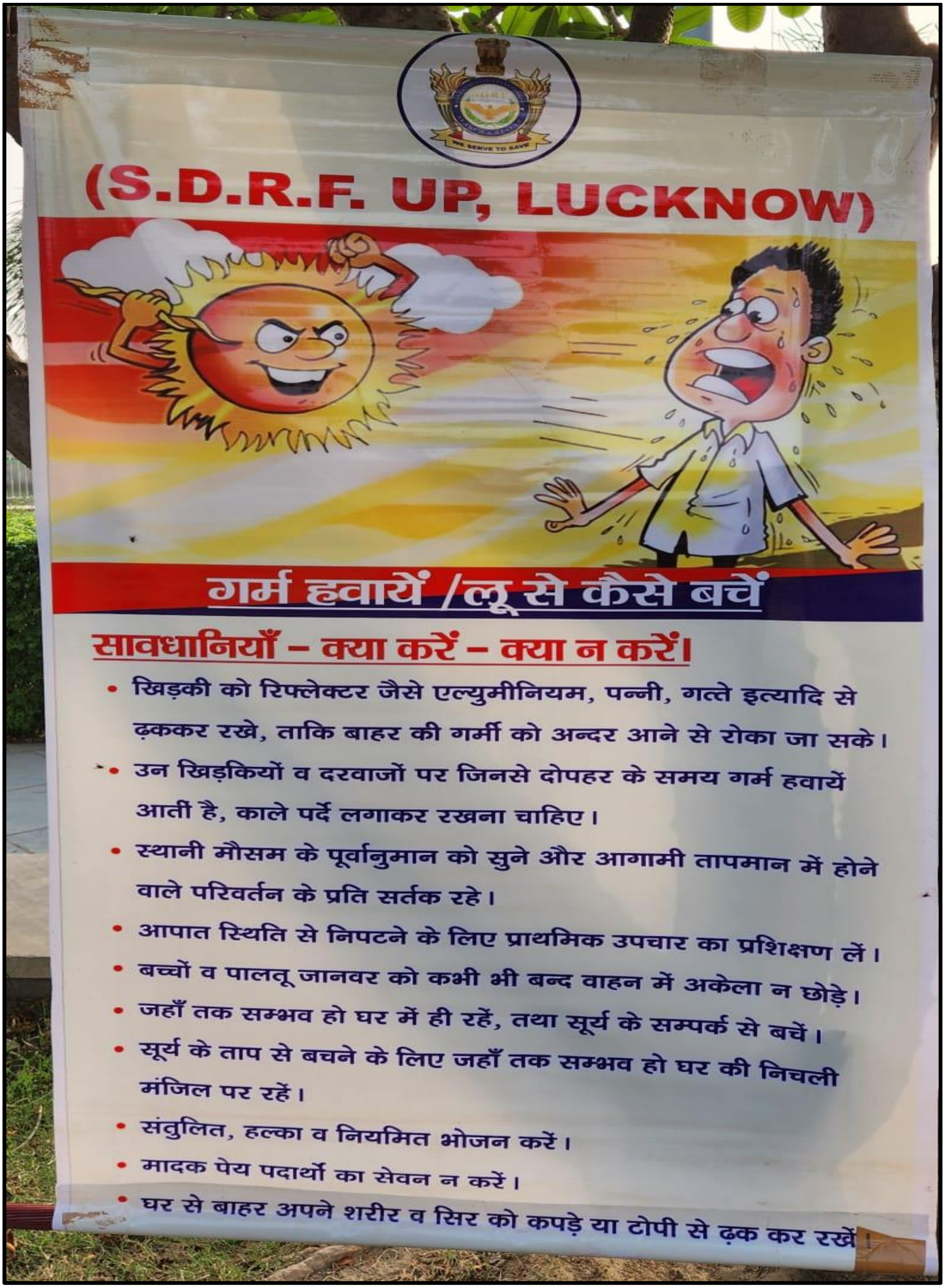

WE SERVE TO SAVE
(S.D.R.F. UP, LUCKNOW)
गर्म हवायें /लू से कैसे बचें
सावधानियाँ – क्या करें – क्या न करें।
• खिड़की को रिफलेक्टर जैसे एल्युमीनियम, पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढ़ककर रखे, ताकि बाहर की गर्मी को अन्दर आने से रोका जा सके।
• उन खिड़कियों व दरवाजों पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवायें आतीं है, काले पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
• स्थानी मौसम के पूर्वानुमान को सुने और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहे।
• आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
• बच्चों व पालतू जानवर को कभी भी बन्द वाहन में अकेला न छोड़े।
• जहाँ तक सम्भव हो घर में ही रहें, तथा सूर्य के सम्पर्क से बचें।
• सूर्य के ताप से बचने के लिए जहाँ तक सम्भव हो घर की निचली मंजिल पर रहें।
• संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
• मादक पेय पदार्थो का सेवन न करें।
• घर से बाहर अपने शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढ़क कर रखें।

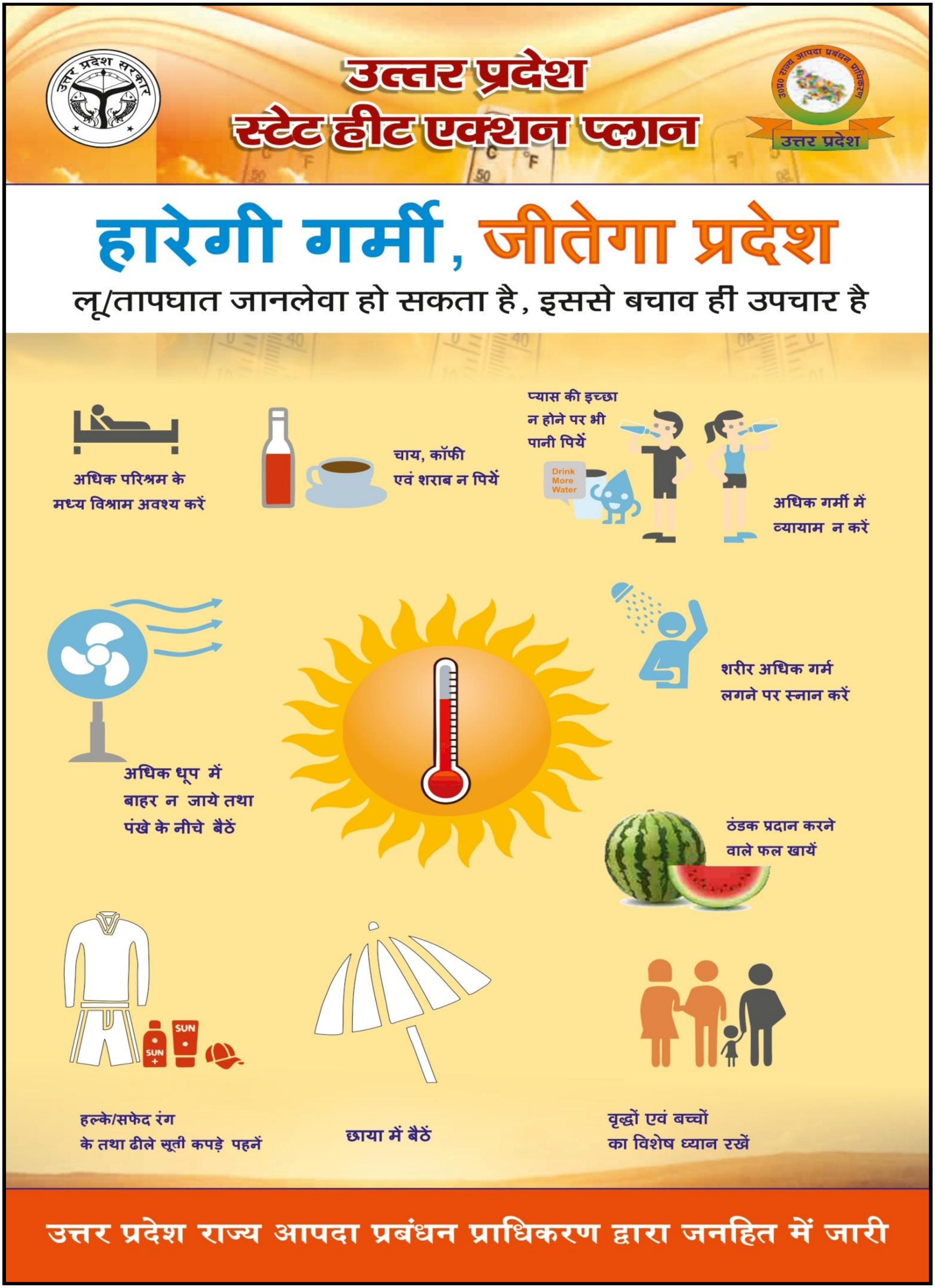
उत्तर प्रदेश
स्टेट हीट एक्शन प्लान
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
हारेगी गर्मी, जीतेगा प्रदेश
लू/तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है
अधिक परिश्रम के मध्य विश्राम अवश्य करें
चाय, कॉफी एवं शराब न पियें
प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पियें
Drink More Water
अधिक गर्मी में व्यायाम न करें
अधिक धूप में बाहर न जाये तथा पंखे के नीचे बैठें
शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें
ठंडक प्रदान करने वाले फल खायें
SUN
हल्के/सफेद रंग के तथा ढीले सूती कपड़े पहनें
छाया में बैठें
वृद्धों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

लू

लू प्रकोप एवं गर्म हवा

लू से जन–हानि भी हो सकती है। इसके असर को कम करने के लिए और लू से होने वाली मौत की रोकथाम के लिए निम्न सावधानियाँ बरतें –

- कड़ी धूप में बाहर न निकलें, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच में।
- जितनी बार हो सके पानी पियें, प्यास न लगे तो भी पानी पियें।
- हल्के रंग के ढीले – ढाले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा, जूते और चप्पल का इस्तेमाल करें।
- यात्रा करते समय अपने साथ पानी रखें।
- अगर आपका काम बाहर का है तो, टोपी, गमछा या छाते का इस्तेमाल जरूर करें और गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
- अगर आपकी तबियत ठीक न लगे या चक्कर आए तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।
- घर में बना पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी, छांछ, आम का पना इत्यादि का सेवन करें।
- जानवरों को छांव में रखें और उन्हे खूब पानी पीने को दें।
- अपने घर को ठंड़ा रखें, पर्दे, शटर आदि का इस्तेमाल करें। रात में खिड़कियाँ खुली रखें।
- शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल न करें।

क्या करें : क्या न करें :

- धूप में खड़े वाहनों में बच्चों एवं पालतू जानवरों को न छोड़ें।
- खाना बनाते समय कमरे के दरवाजे के खिड़की एवं दरवाजे खुलें रखें जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
- नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
- उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।
- खिड़की को रिफ्लेक्टर जैसे एल्युमीनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढक कर रखें, ताकि बाहर की गर्मी को अन्दर आने से रोका जा सके।
- उन खिड़कियों व दरवाजों पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती है, काले पर्दे लगाकर रखना चाहिए।
- स्थानीय मौसम के पूर्वनुमान को सुनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सतर्क रहें।
- आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
- बच्चों व पालतू जानवरों को कभी भी बंद वाहन में अकेला न छोड़ें।
- जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें तथा सूर्य के सम्पर्क से बचें।
- सूर्य के ताप से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो घर की निचली मंजिल पर रहें।
- संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
- घर से बाहर अपने शरीर व सिर को कपड़े या टोपी से ढक कर रखें।

उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

उत्तर प्रदेश
स्टेट हीट एक्शन प्लान
उत्तर प्रदेश सरकार
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.
ठंडक प्रदान करने वाले पेय पदार्थ पियें
सफेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें
अधिक गर्मी में घर से बाहर न निकलें
छाया में बैठकर विश्राम करें
बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें
35°C
40°C
घर की छत पर चूने/सफेद रंग का पेन्ट करें
सिर पर गीला कपड़ा रखें तथा शरीर को कपड़े से ढककर बाहर निकलें
प्यास की इच्छा न होने पर भी बार-बार पानी पियें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

उत्तर प्रदेश स्टेट हीट एक्शन प्लान
उत्तर प्रदेश
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.
लू-तापघात के लक्षण
शरीर का तापमान बढ़ना एवं पसीना न आना
सिरदर्द होना या सर का भारीपन महसूस होना
त्वचा का सूखा एवं लाल होना
उल्टी, दस्त होना
बेहोश हो जाना
मांसपेशियों में ऐंठन
लू- तापघात का प्राथमिक उपचार
(१) व्यक्ति को ठंडे एवं छायादार स्थान पर ले जायें
(२) एम्बुलेन्स को फोन करें (108) एवं नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाएं
(३) अगर बेहोश न हो तो ठंडा पानी पिलायें
(४) जितना हो सके कपड़े शरीर से निकाल दें
(५) गीले कपड़े या स्पंज रखें
(६) पंखे से शरीर पर हवा डालें
(७) शरीर के ऊपर पानी से स्प्रे करें
(८) व्यक्ति को पैर ऊपर रखकर सुला दें
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

Contact Number of EOC and Control Room, Lucknow

प्रभारी अधिकारी (लू)	–	श्री राकेश कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, लखनऊ मोबाइल नं0–9415005004
प्रभारी अधिकारी(दैवीय आपदा)	–	श्री चन्द्रकान्त त्रिपाठी अपर नगर मैजिस्ट्रेट–प्रथम/ प्रभारी अधिकारी(आपदा), कलेक्ट्रेट, लखनऊ। मोबाइल नं0–9415005008
जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ	–	श्री अमर सिंह जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ मोबाइल नं0– 9415002525, 9454416500
श्री मो0 दानिश, वैज्ञानिक 'सी' टेलीफोन/मोबाइल	–	मौसम केन्द्र, लखनऊ। 0522–2436301, 0522–2435406, 09140999031 ई मेल–mclucknow@gmail.com
कन्ट्रोल रूम/ई0ओ0सी0 टेलीफोन/मोबाइल	–	कक्ष सं0–54, द्वितीय तल, कलेक्ट्रेट, लखनऊ 0522–2615195, 9415005003

तहसील मुख्यालय पर स्थापित कन्ट्रोल रूम/नियंत्रण अधिकारी

तहसीलदार–सदर कन्ट्रोल रूम	–	मोबाइल नं0–9454416505 तहसील मुख्यालय
तहसीलदार–मोहनलालगंज कन्ट्रोल रूम	–	मोबाइल नं0–9454416506 तहसील मुख्यालय
तहसीलदार–मलिहाबाद कन्ट्रोल रूम	–	मोबाइल नं0–9454416507 तहसील मुख्यालय
तहसीलदार–बख्शी का तालाब कन्ट्रोल रूम	–	मोबाइल नं0–9454416508 तहसील मुख्यालय
तहसीलदार–सरोजनीनगर कन्ट्रोल रूम	–	मोबाइल नं0–9454416503 तहसील मुख्यालय

DISTRICT LEVEL INCIDENT RESPONSE TEAM

Sr.No.	Responsibility of Officer's	Designation of Officer	Mobile No.
1	Responsible Officer	District Magistrate Lucknow	9415005000
2	Incident Commander	ADM, F/R, Lucknow	9415005004
3	Deputy Incident Commander	Nodal Officer(Disaster), Lucknow	9454416527
4	Safety Officer	Commissioner of Police (Urban)	9454400137
5	Liaison Officer	District Disaster Expert, Lucknow	9415002525
6	Information Officer	District Information Officer, Lucknow	8004533257
7	Operation Section Chief	Commissioner of Police (Urban)/ SP Rural, Lucknow	9454400137
	a. Staging Area Manager	R.T.O. Lucknow	8005441031
	Rescue & Response Branch		
	i. Natural Disasters	District Fire Officer, Lucknow	9454418344
	ii. Epidemic & Health Hazard	C.M.O. Lucknow	8005192677
	iii. Manmade Disaster	Deputy Commissioner of Police, (Headquarter) Lucknow	9454400531
	b. Transport Branch (Road, Rail, Water & Air Unit)	R.T.O. Lucknow	8005441031
8	Planning Section Chief	ADM, F/R, Lucknow	9415005004
	a. Situation Unit	Emergency Operation Center, Incharge Lucknow	9415002525
	b. Resource Unit	Disaster Expert Lucknow/ DDMA Incharge Lucknow	9415002525
	c. Documentation Unit	District Information Officer Lucknow	8004533257
	d. Demobilization Unit	ADM, F/R, Lucknow	9415005004
9	Logistic Section Chief	Chief Development Officer, Lucknow	9454465461
	a. Service Branch	District Development Officer, Lucknow	9454465463
	i. Communication Unit	District Information Officer Lucknow	8004533257
	ii. Medical Unit	Chief Medical Officer, Lucknow	8005192677
	iii. Food Unit	District Supply Officer, Lucknow	9354957726
	b. Support Branch	SDM Sadar, Lucknow	9454416490
	i. Resource Provisioning Unit	Ex. Engineer Irrigation, Lucknow	8299110262
		Ex. Engineer, PWD, Lucknow	9335906372
	ii. Facilities Unit	Chief Veterinary Officer, Lucknow	9984921555
	iii. Ground Support	Ex. Officer, Nagar Nigam, Lucknow	6391206364
		Ex. Officer, Jal Nigam, Lucknow	6390260017
	c. Finance Branch	D.D.O. Lucknow	9415005009
	i. Time Unit	Nazir, Lucknow	9450394321
	ii. Compensation/Claim Unit	Relief Clerk, Lucknow	9335873052
	iii. Procurement Unit	Chief Treasury Officer, Lucknow	8765923758
	iv. Cost Unit	Chief Treasury Officer, Lucknow	8765923758

<u>जिला प्रशासन (कलेक्ट्रेट–लखनऊ) के मुख्य अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र</u>

क0सं0	पदनाम	सम्पर्क सूत्र
1	जिलाधिकारी, लखनऊ	9415005000
	अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), लखनऊ	9415005002
2	अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व), लखनऊ	9415005004
3	अपर जिलाधिकारी(नगर पूर्वी), लखनऊ	9415005001
4	अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), लखनऊ	9415005007
5	अपर जिलाधिकारी(आपूर्ति), लखनऊ	9415005006
6	अपर जिलाधिकारी(टी0जी0), लखनऊ	9415005005
7	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0– I), लखनऊ	9454416487
8	अपर जिलाधिकारी(भू0अ0– I I)	9454416488
9	अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम	9415005008
10	अपर नगर मजिस्ट्रेट–द्वितीय	9415005009
11	अपर नगर मजिस्ट्रेट–तृतीय	9454416496
12	अपर नगर मजिस्ट्रेट–चतुर्थ	9454416497
13	अपर नगर मजिस्ट्रेट–पंचम	9454416498
14	अपर नगर मजिस्ट्रेट–षष्टम	9454416499
15	अपर नगर मजिस्ट्रेट–सप्तम	9454416527
16	उप जिलाधिकारी, सदर	9454416490
17	उप जिलाधिकारी, सरोजनी नगर	9454416511
18	उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज	9454416491
19	उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद	9454416492
20	उप जिलाधिकारी, बक्शी का तालाब	9454416493
21	तहसीलदार, सदर	9454416505
22	तहसीलदार, सरोजनी नगर	9454416503
23	तहसीलदार, मोहनलालगंज	9454416506
24	तहसीलदार, मलिहाबाद	9454416507
25	तहसीलदार, बक्शी का तालाब	9454416508
26	जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ	9415002525 9454416500

जनपद लखनऊ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र

क0सं0	पदनाम	सम्पर्क सूत्र
1	पुलिस आयुक्त, लखनऊ (नगर)	9454400137
2	मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ	9454465461
3	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	6389252222
4	पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), लखनऊ	9454400531
5	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	9415061436
6	मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ	8005192677
7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखनऊ	9984921555
8	उपायुक्त, पुलिस (यातायात), लखनऊ	9454400517
9	जिला सूचना अधिकारी, लखनऊ	8004533257
10	जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ	9354957726
11	जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ	9454457262
12	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ	9453004167
13	जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ	9451600220
14	जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ	9450913084
15	उप नियन्त्रक, नागरिक सुरक्षा, लखनऊ	8318263337
16	मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ	9454418344
17	अग्निशमन कन्ट्रोल रूम	9454418642
18	राज्य आपदा राहत बल (SDRF) कन्ट्रोल रूम	7839869304
19	राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) कन्ट्रोल रूम	8004931459
20	राहत आयुक्त कार्यालय कन्ट्रोल रूम	0522—2217721 9454441081
21	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA), लखनऊ	1078, 1070, 9711077372
22	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा कार्यालय), कलेक्ट्रेट, लखनऊ	1077, 0522—2615195 9415005003
23	नगर निगम कन्ट्रोल रूम	0522—2307782 6389300137
24	किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज	0522—2258880 9415007709
25	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	0522—2494070 0522—2494071
26	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	0522—6692000 0522—6692001
27	सिविल हॉस्पिटल, लखनऊ	0522—4027513
28	ऐरा हॉस्पिटल, लखनऊ	0522—6600777
29	वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय	8887531949
30	पुलिस सहायता	112
31	एम्बुलेंस	108 / 102
32	अग्निशमन	101

Thank you!

अमर सिंह

जिला आपदा विशेषज्ञ, लखनऊ

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ

मोबाइलः

9415002525

9454416500

9935079929

9335079929

ई-मेलः

amarlkogis@gmail.com

amarlkogis@socialworker.net

कार्यालय- कक्ष सं०-54, द्वितीय तल,

कन्ट्रोल रूम/इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर (E.O.C.)

जिलाधिकारी कार्यालय/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

दूरभाष : 0522-2615195, 9415005003, टोल फ्री : 1077

ई-मेल : ddmalucknow@gmail.com | वेबसाइट : www.lucknow.nic.in